n15/LS/11 15-11-88

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 फरवरी, 1999

खण्ड-1 अंक-10

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

विषय सूची

बुधवार, 10 फरवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(10) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 2
अति-विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन	(10) 11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(10) 11
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10) 19
विश्व बैंक से लिए गए ऋण से संबंधित मामला	(10) 20
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(10) 24
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(10) 25
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(10) 25
सदन की मेज पर रखा गया कागज पत्र	(10) 27

मूल्य : 75.00

समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना (10) 27

(i) लोक सेवा समिति की 48वीं रिपोर्ट पेश करना (10) 27

(ii) अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्ग कल्याण समिति की 24वीं रिपोर्ट पेश करना (10) 27

(iii) अधीनस्थ विधान समिति की 30वीं रिपोर्ट पेश करना (10) 28

(iv) आश्वासन समिति की 30वीं रिपोर्ट पेश करना (10) 28

बिल्ज़—

1. हरियाणा विनियोग (सं०1) विधेयक, 1999 (10) 28
2. हरियाणा विनियोग (सं०2) विधेयक, 1999 (10) 29
3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक, 1999 (10) 37
4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैंशन) संशोधन विधेयक, 1999 (10) 39
5. हरियाणा प्राइवेट महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1999 (10) 40
6. हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 (10) 42
7. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 (10) 44

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 10 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब ओबीचुअरी प्रस्ताव होगा।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, परसों ही हमारे बीच में से एक बहुत ही अच्छे जनरल जो कि चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ रहे हैं, जनरल के० सुंदरजी, उनका स्वर्गवास हो गया है। मैं उनके लिए आबीचुअरी पेश करता हूं।

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of General Krishnaswami Sunderji, former Chief of the Army Staff, on February 8, 1999.

He was born on April 30, 1928. He joined the Indian Army in 1945 and got commissioned in 1946. General Sunderji saw action during Indo-Pak War in 1965. He was Brigadier General Staff of a corps in the Eastern Theatre and made valuable contribution in operations culminating in the liberation of erstwhile Pakistan into Bangladesh in 1971 Indo-Pak War. He was awarded with Param Vashisht Sewa Medal. He became Deputy Chief of the Army in 1981 and Chief of the Army staff in 1986.

In his death, the country has lost a brave and courageous solidier and a great son of the motherland. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो शोक प्रस्ताव यहां पर रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जनरल सुंदरजी भारत की सेनाओं की शान थे। स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि भारत की सेनाओं का पूरी दुनियां में अपना एक अलग ही स्थान है। भारत की सेनाएं दुनियां में सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित सेनाएं हैं। सेना में जनरल सुंदरजी का युद्ध के समय और युद्ध के बाद अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहां पर जब आंतकवाद का दौर था तो उस समय भी उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपना काम किया। देश के लोगों ने

[श्री राम बिलास शर्मा]

जो भी जिम्मेदारी उन पर सौंपी थी उसको उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया था। उनके निधन से भारत ने अपना एक सेनापति और अपना एक सपूत खोया है जिससे मुझे और मेरी पार्टी को बड़ा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति दें तथा उनके परिवार को यह दुख वर्दाश्त करने की शक्ति दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता और प्रो० रामविलास शर्मा जी ने जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी के निधन पर जो शोक प्रस्ताव पेश किया है उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी भारत के उन महान सेनापतियों में से थे जिनका भारत की सेनाओं में एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय जनरलों में उनकी गणना एक थिंक टैंक के रूप में की जाती थी। उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया और बाद में वे सेना के उच्चस्थ पद पर पहुंचे। यह उनकी अपनी योग्यता का एक स्पष्ट प्रमाण है। आज हमारे बीच में से अकस्मात उनके उठ जाने से देश एक महान सेनापति, एक सच्चे देश भक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से व सदन की ओर से दिवंगत आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के सदस्यों को इस महान क्षति को वर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न सं० 992

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे)

Shops of Rai and Randhawa Market

***876. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the lease of shops of Rai Market and Randhawa Market has been expired since many years;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to renew the lease or sell the aforesaid land to its occupants; and

(c) if so, the time by which the proposal as referred to in (b) above is likely to be materialised ?

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) :

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) व (ग) उपायुक्त, अम्बाला जिन्हें बटवारा समझौता के अधीन प्राप्त अम्बाला छावनी क्षेत्र की जमीन का सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया है, को आयुक्त, अम्बाला मण्डल के माध्यम से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस बारे विचार किया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह अम्बाला छावनी स्थित राय मार्किट और रंधावा मार्किट से संबंधित प्रश्न है। 30 वर्ष पहले लगभग पौने तीन सौ दुकानें पट्टे पर दी गई थीं जिनका पट्टा वर्ष 1983 में समाप्त हो गया था। चाहिए तो यह था कि पट्टा समाप्त होने से पहले ही पिछली सरकार इस बारे में अपनी नीति बना लेती। लगभग 16 वर्ष गुजर गए लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह पिछली सरकारों की इनडिसीसिवनैस और रैड टेपिज्म का ज्वलंत उदाहरण है। जबकि सरकार को पिछले 16 सालों से उन दुकानों का किराया भी प्राप्त नहीं हो रहा है, न लीज का पैसा मिल रहा है, इन दुकानों की लीज को रिन्यू करने का मामला पिछले कई सालों से विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में, डिसीजन लेने की क्षमता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि यह जो इतने वर्षों से पैंडिंग मामला है, इसका ये कब तक समाधान कर देंगे ये इस बारे में, क्या कोई समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने में इस संबंध में कार्यवाही कर ली जाएगी ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम समय-समय पर बैठकें करते रहे हैं और माननीय सदस्य स्वयं भी उन बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस सरकार के आने पर काम करने के बारे कोई उपेक्षा नहीं की गई। हमने 11-3-98 को वित्तायुक्त एवं सचिव, स्थानीय शासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक की और उसमें उपायुक्त, अम्बाला ने भी भाग लिया। मुख्य मंत्री जी ने भी 30-10-98 को बैठक ली और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल, 1999 तक आयुक्त की रिपोर्ट आने पर यह फैसला कर दिया जायेगा क्योंकि उपायुक्त की रिपोर्ट आ चुकी है। आयुक्त की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक क्वैश्चन यह था कि कितने माह में मंत्री महोदया यह फैसला ले लेंगी। इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की जाये। प्रश्न उपायुक्त की रिपोर्ट आने का था आयुक्त की रिपोर्ट आने का नहीं है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय विधायक का प्रश्न बड़ा सही है। मैं उनको बताना चाहूंगी कि इस मामले में सरकार को भी घाटा हो रहा है इसलिए इसका निर्णय जल्दी ही ले लिया जायेगा। परन्तु यह फैसला आयुक्त की रिपोर्ट आने पर ही किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : किसकी रिपोर्ट आने पर फैसला किया जायेगा।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर सारी मार्किट की दुकानों का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहां पर कुल 236 दुकानें हैं। पहले अम्बाला कंटोनमैंट का एरिया मिल्टरी के अंडर था लेकिन बाद में आर्मी ने इसे हरियाणा सरकार के अधिकार में दे दिया इसलिए अम्बाला सदर में नगरपालिका 5-2-1977 को बनाई गई थी। छावनी और नगरपालिका के उस बंटवारे के समझौते के समय यह दो मार्किट बनाई गई थी। पंजाब से आये हुये विस्थापितों की पुनः स्थापना करने के लिए ये दुकानें उनको दी गई थीं। इन 236 दुकानों में से 66 पट्टेदार ऐसे थे जो मूल धारक हैं जिनको ये दुकानें दी गई थीं। वे दुकानें चला रहे हैं। 36 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने दुकानें अन्य दुकानदारों को किराये पर

[डॉ० कमला वर्मा]

दी हुई हैं और 123 दुकानें ऐसी हैं जिनको उन दुकानदारों ने बेच दिया है। बाकी दुकानों पर ताला लगा हुआ है। इन सब दुकानों का सर्वे करवाकर ही यह पता लगेगा कि किस दुकानदार ने अलाटमैंट के समय जो शर्तें निर्धारित की गई थीं उन शर्तों की उल्लंघना की है। उपायुक्त ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी आयुक्त की रिपोर्ट आनी बाकी है। आयुक्त की रिपोर्ट आने पर इस मामले को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। उसके बाद स्थानीय विधायक के सुझाव भी लिये जायेंगे। जैसे ये कहेंगे उसी के अनुसार फैसला कर लिया जायेगा। सरकार की इस मामले में फैसला करने की पूरी रूचि है। हम सरकार को घाटा नहीं देना चाहते और इस मामले में फैसला जल्दी ही कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, कमिश्नर तो आपके ही हैं आप उनको निर्देश तो दे सकती हैं ताकि the matter be expedited as early as possible.

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, निर्देश तो पहले भी दिये हुये हैं और उनको आगे फिर जोर देकर कह दिया जायेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदया इस मामले को जल्दी ही निपटा देंगी। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जो अम्बाला छावनी की भूमि बंटवारे के समझौते के समय नगर पालिका को स्थानान्तरित हुई थी उस भूमि के कई मामले हैं जैसे जिन लोगों को जो भूमि लीज पर दी गई थी वह लीज या तो समाप्त हो गई है या जो सरकारी भूमि थी जिसके लिये कहा गया था कि इस भूमि में कोई अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा उस भूमि पर कई जगह निर्माण किया गया है और उस लाखों-करोड़ों रुपये की भूमि को कई लोगों ने बेच दिया है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो यह भूमि बेची गई है या जिस भूमि पर निर्माण किया गया है उसके बारे में क्या कोई इंक्वायरी करवायेंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करवायेंगी ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, शामलात की भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी आज इस सदन में एक बिल ला रहे हैं ताकि शामलात भूमि पर जो भी अनियमित कब्जे किये हुये हैं और जिन्होंने यह अनियमितताएं की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वैसे पिछली सरकार के समय में अनियमितताएं ज्यादा हुई हैं इसके लिये हम अमैंडमैंट लाकर के इसको रैगुलराईज करना चाहते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ एक स्पैसिफिक प्रश्न ही पूछना चाहता हूं कि कैंटोनमैंट बोर्ड ने जो एरिया नगरपालिका अम्बाला छावनी को ट्रांसफर किया था उस एरिया में लीज होल्डर्ज के जितने बंगले थे उनके साथ लगती हुई जितनी खाली जमीन थी उस जमीन को उन लीज होल्डर्ज ने प्लाट बना-बना कर बेच दिया है जो कि सरकारी भूमि को बेचने के समान है। क्या इस मामले की जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय विधायक की उपस्थिति में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें एक निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार ऐसी जितनी भी इरैगुलरिटीज़ हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है, टिप्पणियां मंगवाई जा रही हैं तथा उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 6 माह के अंदरअंदर इस मामले में फैसला कर लिया जाए। माननीय सांथी ने जो अन्य कॉलोनियों की बात की है, मैं इनको बताना चाहूंगी कि लीज़ की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, 30 वर्ष के अंदर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है तथा जितनी राशि की लीज़ है, उससे दुगुनी राशि

ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक के साथ यह भी बात हुई थी कि अगर लीज़ लेने वाले व्यक्ति इस जमीन को खरीदना चाहते हैं तो मार्किट रेट्स पर उनको बेच भी देंगे तथा जो भी फैसला हमने किया है, वह 6 माह के अंदर अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में नगर निगम है तथा उसका जो कमिशनर है उसके पास एक लाख रुपए तक की राशि खर्च करने की पॉवर है। इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने के लिये श्री कृष्ण पाल व आदरणीय शर्मा जी ने आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय व डा० कमला वर्मा जी से प्रार्थना की थी। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर या पार्षद हैं, उन में से बहुत से लोगों ने वहां की जमीनों पर नाजायज कब्जे करवा रखे हैं। इस तरह से वे लोगों की डासमेंट करते हैं। जिस प्रकार से यदि सरपंच गांव के अंदर कोई गलत काम करता है तो सरकार उस के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उसको सस्पैंड कर सकती है। क्या सरकार ऐसी कोई सोच रखती है कि यदि वहां के मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर या पार्षद कोई गलत काम करें और कोई उनके खिलाफ लिखित में शिकायत करे तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह सप्लीमैंटरी वैसे इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहूंगी कि हम आज ही सदन में नगर निगम, 1994 के एक्ट में अमैंडमैंट करने जा रहे हैं जिसके अनुसार माननीय साथी ने जितनी भी समस्याएं बताई हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा तथा चाहे कोई मैंबर हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, सीनियर मेयर हो पार्षद हो, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगी कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा चाहे वह नगरपालिका की जमीन हो, नगर निगम की जमीन हो या और दूसरी जमीन हो, उसको उचित दंड दिया जाएगा।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि हमारे पानीपत शहर के अंदर करीब 400 प्लॉट्स नगरपालिका द्वारा अपने चहेतों को दिए हुए हैं तथा यह कार्रवाई काफी लम्बे समय से चली आ रही है। हो सकता है यह बात मंत्री महोदया के नोटिस में भी हो। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय विधायक को बताना चाहती हूं कि पिछले एक-दो सालों के अंदर ऐसे कोई प्लॉट नहीं दिए गए हैं तथा पिछली सरकार के समय में कितने दिए गए हैं, इसकी इन्क्वायरी करवा ली जाएगी तथा जो भी इरैगुलरिटीज़ पाई जाएंगी, उनके अनुसार दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा। वैसे अभी तक मेरे नोटिस में 400 प्लॉट्स की लिस्ट नहीं आई है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, यह मामला ग्रीवैंसिज़ कमेटी की मीटिंग में हर बार डिसक्स होता है। जिसमें हर बार मंत्री जी भी और प्रशासनिक अधिकारी भी यह आश्वासन देकर चले जाते हैं कि इन प्लॉट्स की लिस्ट ग्रीवैंसिज़ कमेटी को दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक वह लिस्ट ग्रीवैंसिज़ कमेटी के माध्यम से नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : कादयान जी अगर आपको मालूम है कि ये प्लाट किस समय दिये गये हैं तो आप बताएं।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर प्लाट कांग्रेस की सरकार के समय में दिये गये थे।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय विधायक मेरे को बता सकते हैं। ये अपने आप डी०सी० या ई०ओ० के पास जायें, वहां पर प्रोपर्टी का एक रजिस्टर होता है जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी की जो भी जमीन होती है उसका रिकार्ड, रैवेन्यू रिकार्ड के साथ मिलाकर एक रजिस्टर में एंटर किया जाता है। उस रजिस्टर में यह भी पता लगाया जा सकता है कि म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर किसने नाजायज कब्जा कर रखा है और किसने नहीं। मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि ये डी०सी० से मिलें, रैवेन्यू रिकार्ड देखें और हमें बतायें कि वे 400 प्लाट्स किस समय दिये गये हैं। उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के वक्त में तो ऐसे कोई भी प्लाट्स नहीं दिये गये। माननीय विधायक उन प्लाटों की मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दें हम इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की परमिशन के बगैर म्यूनिसिपल कमेटी को प्लाट अलाट करने की पावर है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको भी मालूम है पिछली सरकार तो जो चाहे बिना नियम के काम करती थी, जैसे कांग्रेस सरकार ने हुडा के प्लाट अलाट कर दिये थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वे प्लाट कैंसिल कर दिये। म्यूनिसिपल कमेटी को प्लाट अलाट करने की पॉवर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद ओवर आल इनचार्ज तो डी०सी० है, कोई भी ई०ओ० या प्रैजिडैंट प्लाट नहीं दे सकता। प्लाट अलाट करने के लिए सरकार की तरफ से इंसट्रक्शंज जारी की जाती हैं। डी०सी० अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजता है और सरकार से निर्देश जारी किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बारे में रूलज के अनुसार सख्त इंसट्रक्शंज जारी की हुई हैं कि चाहे पांच गज जमीन हो या 45 गज हो, जब तक उसकी स्वीकृति कैबिनेट से नहीं होती तब तक किसी को नहीं दी जायेगी, कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही जमीन अलाट की जायेगी। इसलिए मैं कहती हूं कि हमारी सरकार के वक्त में सवाल ही पैदा नहीं होता कि म्यूनिसिपल कमेटी ने किसी को भी प्लाट अलाट किए हों। अध्यक्ष महोदय, वहां पर कई मकानों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हैं, वे टुकड़े भी उन मकान वालों को देने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, चाहे वह टुकड़ा 50 गज का ही क्यों न हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, यह ठीक है कि आपकी सरकार के वक्त में प्लाट अलाट नहीं किये गये लेकिन पिछली सरकारों के समय में तो प्लाट अलाट हुए होंगे लेकिन सरकार का तो एक कंटन्यूस प्रोसैस है, वह तो सदा रहेगा ही। सरकार की भी तो यह ड्यूटी बनती है कि जो पहले प्लाट अलाट हुए हैं उनके बारे में इंक्वायरी करे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है तो नियम के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, शिकायत की बात नहीं है वहां पर आपकी कोई तो विभागीय मशीनरी होगी जो म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन संबंधी मामले देखती है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमें जैसे ही पता चलता है हम कार्यवाही करते हैं। जैसे अभी पीछे गुहला चीका में कम से कम 300 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जे से छुड़वाई है। लोगों ने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। अध्यक्ष महोदय, हमें जहां पर भी अवैध कब्जों के बारे में पता चलता है तत्काल कार्यवाही की जाती है ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगे। इस बारे में हमें जहां कहीं भी शिकायत मिलती है हम वहां पर उचित कार्यवाही करते हैं। सारी नगरपालिका सीमा में सर्वे भी करवाया जाता है ताकि अवैध कब्जों को रोका जा सके।

श्री जगदीश नेयर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के हसनपुर शहर में लोगों ने बहुत ज्यादा नाजायज कब्जे कर रखे हैं। होडल में दुकानों के बेचने का केस सरकार के पास आया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नेयर साहब आपके हल्के में भी म्यूनिसिपल कमेटी है।

श्री जगदीश नेयर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में क्या नहीं है, मेरे हल्के में हर चीज है। (हंसी) मेरे हल्के में दो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक तो मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि हसनपुर से नाजायज कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे और दूसरा यह जानना चाहता हूं कि जो होडल नगरपालिका की दुकानों को बेचने का केस सरकार के पास आया है। उन दुकानों को बेचने के लिए सरकार कब तक अनुमति दे देगी।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है कि कब तक उन दुकानों को बेचने की अनुमति दी जायेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस बारे में जांच करके जो भी एक्शन लिया जायेगा उस बारे में माननीय सदस्य को बता दिया जायेगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से एक जनरल बात पूछना चाहता हूं कि चरखी दादरी में नगरपालिका के 20 प्लाट पड़े हैं उसके लिए हमने बार-बार कहा है कि यदि सरकार उनकी नीलामी नहीं करेगी तो लोग वहां पर नाजायज कब्जे कर लेंगे। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि उन प्लाटों की कब तक नीलामी हो जायेगी।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जुबानी तो कुछ नहीं कह सकती कि कब तक उन प्लाटों की नीलामी हो जायेगी। श्री सांगवान जी 20 प्लाटों को ऑक्शन करने की बात लिखकर दे दें तो देख लेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं तीन बार मंत्री महोदया से मिल चुका हूं।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में तो श्री सांगवान ने मेरे से कोई बात नहीं की है। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये प्लाट नगरपालिका के अधीन है और उन पर कोई नाजायज कब्जा नहीं कर सकता है। जब भी वहां बिड़ होगी तो इन्हें ऑक्शन किया जायेगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि वहां अवैध कब्जे हो रहे हैं।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी उन नाजायज कब्जों की भी लिस्ट हमें दे दें, यदि कोई नाजायज कब्जा है तो मैं कार्यकारी अधिकारी से जांच करवा लूंगी।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया है कि वह मामला विचाराधीन है लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि पानीपत में एक चावला नाम के व्यक्ति को प्लाट दिया गया था जिसकी जांच हुई तो संबंधित कार्यकारी अधिकारी को सस्पैन्ड किया गया और फिर उसे बहाल कर दिया गया है जबकि आज भी वही प्लाट उसी चावला नाम के व्यक्ति के पास है। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि उसे बहाल क्यों कर दिया गया है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस केस में अभी भी जांच चल रही है और पानीपत के डी०सी० महोदय की टिप्पणी आनी बाकी है और ई०ओ० को सस्पैन्ड करने या कोई पनिशमैन्ट देने का दायरा तो सरकार के ही पास है। यदि अब भी जांच रिपोर्ट में वह दोषी पाया गया तो उसे उचित सजा जरूर दी जायेगी।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, जब ई०ओ० को सस्पैन्ड किया गया है तो इससे स्पष्ट है कि उसकी गलती थी और फाईनल जांच रिपोर्ट में भी पाया गया है कि श्री चावला को गलत तरीके से प्लाट दिया गया है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कई बार सस्पैन्ड तो थोड़ी सी गलत रिपोर्ट मिलने पर भी कर दिया जाता है। जबकि जांच करने पर इतना दोष नहीं पाया जाता और माननीय विधायक जी भी जानते हैं कि सस्पैन्ड करने या बहाल करने के लिये सरकार के कुछ नियम होते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, क्या उस ई०ओ० को पैंडिंग इन्कवायरी के तहत रि-इंस्टेट किया गया है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस ई०ओ० को पैंडिंग इन्कवायरी के तहत ही रिइंस्टेट किया गया है। जैसे ही इन्कवायरी पूरी हो जायेगी उसे दोष अनुरूप उचित दण्ड दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या—922

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या—927

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या—953

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Repair of Roads

*967. **Shri Sat Pal Sangwan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the time by which the following roads of district Bhiwani are likely to be repaired :—

(i) Jai Shree road;
(ii) Charkhi Dadri Rohtak road;
(iii) Neemali-Sarupgarh (approach road)
(iv) Sanwar Manheru; and
(v) Kohlawas to Sonf-Kasni road ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : इन सड़कों की मरम्मत चालू कलैण्डर वर्ष में होने की संभावना है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इन सड़कों की मरम्मत चालू कलैण्डर वर्ष में होने की संभावना वाली जो बात कही है, ऐसा तो पिछली दफा भी कहा गया था और पिछली दफा भी जय-श्री सड़क के लिये मैंने कहा था जिसके बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि तीन महीने के अन्दर सड़क बनकर तैयार हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी सदन में कहा था कि जय-श्री गांव की सड़क सबसे वर्स्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे चालू कलैण्डर वर्ष को 31 मार्च तक मानेंगे या 31 दिसम्बर तक मानेंगे। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से उनसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे हल्के में जिन सड़कों की हालत बहुत खराब है उनमें से एक-आध सड़क तो बनवा दें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरे हल्के की चरखी दादरी-रोहतक सड़क 31 मार्च तक बना देंगे जबकि सारे स्टेट हाइवे भी बनाने के लिए सरकार ने 31 मार्च का ही समय दिया है। इसलिये उनकी यह बात भी अचम्भे की है कि उन्होंने मेरे हल्के की सड़क के लिये भी इतना ही टाईम बताया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, श्री सांगवान जी की बात ठीक है और अकेले भिवानी या दादरी के गांवों की सड़कें ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। हमने अभी विलेज-लिंक रोड्स के निर्माण का कार्य शुरु नहीं किया है। इससे पहले हमने यह फैसला किया है कि स्टेट के अन्दर जितने भी स्टेट हाइवे हैं, सबसे पहले उनको ठीक किया जाये। इसके साथ-साथ हरियाणा राज्य के अन्दर जितने भी एम०डी०आर० हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ठीक करने और 500 किलोमीटर के ओ०डी०आर० के ऊपर काम करने का फैसला किया है और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, श्री सांगवान जी जिन सड़कों को ठीक करने की बात कह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तो जानते हैं कि पिछली सरकार के वक्त राज्य में बाढ़ भी आई थी लेकिन उस सरकार ने सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरे राज्य की सड़कों को अनदेखा किया और खास कर भिवानी जिले में सड़कों की मरम्मत का कोई काम नहीं कराया गया। पिछले चार पांच महीने से यह विभाग मुझे मिला है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों की मरम्मत के लिए जो कार्यक्रम बनाया है वह हमें बताया है। माननीय सदस्य ने जो सड़कें अपने सवाल में लिखी हुई हैं इनका तकरीबन हमने एस्टिमेट बनवा लिया है। इनमें से एक सड़क एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड द्वारा ठीक की गई थी उस सड़क का जितना बकाया काम है उसको एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ही करेगा। इसके अलावा माननीय सदस्य ने चरखी दादरी से रोहतक रोड़ का जिक्र किया है। उस रोड़ के कुछ भाग में मिट्टी डालने का काम चला हुआ है बाकी कार्य को भी जल्दी ही पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो सड़कें गिनाई हैं ये वाकई में वे सड़कें हैं जो 1995 में बाढ़ के दौरान 8-8 और 9-9 फुट पानी के नीचे थी। इन सड़कों पर 8-8 और 9-9 फुट पानी चढ़ा हुआ था। जयश्री सांगवान खाप का गांव है इसलिए उस गांव से आपका थोड़ा सा प्रेम भी है। उस समय बाढ़ के दौरान उस गांव की बिल्डिंग की दो मंजिल भी दिखाई नहीं दे रही थी वहां पर उस समय 11-12 फुट बाढ़ का पानी खड़ा था। कल आपने एक आश्वासन दिया था कि नैशनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे की मरम्मत की जाएगी तो उनमें से चरखी दादरी-रोहतक रोड भी मेन रोड है वैसे तो नारनौल से रोहतक वाला रोड भी मेन रोड है। क्या आप यह आश्वासन दे पाएंगे कि स्टेट हाई-वे को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। उस स्टेट हाई वे में शर्मा जी का भी साझा है, मेरा भी साझा है, नृपेन्द्र जी का भी साझा है और दूसरे विधायकों का भी उस रोड से संबंध है। बाढ़ के दौरान जयश्री, सांवड़ से मानहेरू, कोहलावास और सौंफ कासनी में 8-8, 9-9 फुट पानी खड़ा था। उस दुर्दशा को हुए चौथा साल लग गया है इसलिए इस बात की ओर आप थोड़ी सी अपनी नेक दिली दिखाते हुए उन सड़कों की मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दें वरना उस सांगवान खाप के गांवों के लोग आपको वहां पर नहीं जाने देंगे जब तक उस सड़क को ठीक नहीं करवा देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जो जयश्री गांव की सड़क है इसकी एक किलोमीटर लम्बाई की मरम्मत होनी है और उस पर चार लाख रुपए लागत आनी है। इसी तरह से कोहलावास और सौंफ कासनी की सड़क 4.71 किलोमीटर लम्बी है उस पर बड़ा भारी पैच वर्क किया जाना है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि पिछली बेमौसमी बारिश ने सड़कों की मरम्मत के काम में बहुत रुकावट डाली। एक तरफ तो हम आर्थिक दृष्टि से भी जूझते रहे और दूसरी तरफ मौसम ने भी हमारा साथ नहीं दिया। आपने जिन सड़कों की चिन्ता जताई है उस बारे में मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में उनको जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत उपयुक्त बात फरमाई कि ये कोठपुतली, नांगल चौधरी, नारनौल महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी और रोहतक रोड वाया बौंद। (विघ्न)

एक आवाज : इनमें वाया बौंद कहां से आ गया। (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : चरखी दादरी से रोहतक जाने के लिए कई रास्ते हैं, रानीला, पिलाना हो कर भी रास्ता है कुछ लोग दूसरे रास्ते हो कर भी चले जाते हैं। बौंद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है यह आज की बात नहीं है यह बहुत पहले से है। स्पीकर साहब, यह राजस्थान का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का और उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाला रोड है और इस पर पिछले 10 वर्षों से राजस्थान से आने वाला, महाराष्ट्र से आने वाले व गुजरात आदि से आने वाले जितना हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकुलज है वह बाया कोटपुतली, नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी और रोहतक की तरफ से आ रहा है। इसके कारणों को सरकार ने समझा और उपयुक्त समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका सर्वे करवाया और इस स्टेट हाईवे को फोरलेनिंग में बदलने के लिए भारत सरकार के पास केस भेजा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि यह सड़क नेशनल हाईवे डिकलेयर होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है।

श्री नृपेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि चरखी दादरी से चिड़िया की एक सड़क है जो कनीना और रिवाड़ी को जोड़ने वाली है। मंत्री जी को भी पता है कि इस सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है ? यदि यह बात इनकी जानकारी में है तो इस रोड की

मरम्मत कब तक करवा दी जाएगी ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है। यदि कोई समय सीमा निर्धारित की है तो इस कार्य के लिए कितने पैसे का प्रावधान रखा गया है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बारे में मेरे से पिछले दिनों जिक्र किया था। मैंने उस वक्त इनको आश्वासन दिया था कि हम इस सड़क को ठीक करना चाहते हैं। स्पीकर साहब; दादरी से चिड़िया रोड है यह हमारे पेपरों में ओ०डी०आर० रोड मानी जाती है। यह सड़क 0.20 किलोमीटर की लम्बाई में खराब है। इस सड़क को जैसे ही हमारे पास धन उपलब्ध होगा, ठीक करने की कोशिश करेंगे।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I want to make an announcement that the Hon'ble Members of the House Committee of Bihar Vidhan Parishad and Shri Mantar Singh Brar, M.L.A. Punjab Vidhan Sabha are present in the V.I.P. Gallery. We welcome them. (Thumping)

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार से जो हमारे माननीय साथी आए हैं और पंजाब के विधायक भी यहां वी०आई०पी० गैलरी में उपस्थित हैं, मैं इन सभी का सदन और सरकार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे नं० 22 जो न केवल अम्बाला चण्डीगढ़ को जोड़ता है बल्कि हरियाणा से सभी प्रांतों को अपनी स्टेट की राजधानी से जोड़ता है। इस हाईवे का बीच में कुछ हिस्सा पंजाब का पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सड़क को फोर लेनिंग में बदलने के लिए और डेराबस्सी के पास जो रेलवे लाईन है उस पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए क्या पंजाब सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, विज जी ने ठीक फरमाया है कि जो चण्डीगढ़ अम्बाला रोड है इसको फोर लेनिंग में बदलने के लिए और डेरा बस्सी में जो रेलवे फाटक पड़ती है उस पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की सख्त जरूरत है। पिछले दिनों इस बारे में मेरी इनसे बातचीत हुई थी। मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब के संबंधित मंत्री से तो अभी तक कोई खतूती-किताबत हुआ नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम जल्दी ही पंजाब के मंत्री से इस सड़क को फोर लेन बनाने और सड़क को चौड़ा करने के बारे में बातचीत करेंगे। यह सड़क चौड़ी तो है। यदि यह फोर लेनिंग हो जाए तो इससे लोगों को फायदा होगा।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मन्त्री जी ने एम०डी०आर० के बारे में बताया है बड़ी खुशी की बात है कि इनको ठीक करवाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी कांस्टीच्यूएंसी से दो दिन पहले मैं निकला था जींद से भिवानी जो रोड जाता है वहां पर धनाना गांव के पास जो स्टेट हाईवे है उसमें डेढ़-डेढ़ फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। मैंने इस बारे में मंत्री जी से बात भी की थी और उनसे प्रार्थना भी की थी। इस सड़क की रिपेयर तो जब होगी तब होगी लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अभी इन गड्ढे को भरवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : केवल गड्ढे ही नहीं भरवाए जाएं ऐसी बात नहीं है। मन्त्री जी यह रोड जो भिवानी से जीन्द जाती है यह एम०डी०आर० है या स्टेट हाईवे है यह तो आप अपने रिकार्ड से देख लें लेकिन भिवानी से मुण्ढाल खुर्द तक सड़क पिछले दो साल से बुरी तरह से टूटी हुई है यह मेरी कांस्टीच्यूऐंसी का ऐरिया है। केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, मन्त्री जी निश्चित् रूप से भरोसा दिलाएं कि भिवानी से जीन्द रोड कब तक ठीक हो जाएगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने जो स्टेट हाईवे की बात कही है उसके बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि 118.94 किलो मीटर स्टेट हाईवे को ठीक करने का लक्ष्य हमने माना है और उसमें से 64.11 किलो मीटर रोड़ हम ठीक करवा चुके हैं और 54.83 कि०मी० सड़क का काम अभी किया जाना है। स्पीकर सर, जिस सड़क का आपने ज़िक्र किया और जैसे कि मेरी आपसे कल बात भी हुई थी मैंने विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात की है इसमें रैजिंग का काम प्रोग्रैस पर है। वाटर लोगिंग की वजह से हमारे विभाग को वहां पर काम करने में काफी दिक्कत आती है। जैसे मैंने पहले बताया है जो थोड़ी-बहुत रोड ठीक होती भी है उसमें मौसम खराब होने की वजह से और बारिश होने के कारण काम में रुकावट आ रही है। स्पीकर सर, मैंने अधिकारियों से इस बारे में बात की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ही इस रोड को ठीक कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, वहां पर वाटर लोगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर बढेसरा टिब्बा से कितनी ही रेत ले लीजिए वाटर लोगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि रिपेयर वर्क करवाने के लिए प्रायोरिटी बनाई है पहले स्टेट हाईवे ठीक करेंगे फिर एम०डी०आर० ठीक करवाएं जाएंगे और फिर विलेज लिंक रोड्ज़ ठीक करवाए जाएंगे। मैं आदरणीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि विलेज लिंक रोड्ज़ का काम कितने दिन में शुरु हो जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, विलेज लिंक रोड्ज़ को ठीक करने का जहां तक ताल्लुक है, तमाम राज्य में जितने भी विलेज लिंक रोड्ज़ हैं उनको ठीक करवाने का कार्यक्रम हम मार्च के बाद बनाने जा रहे हैं। स्पीकर सर, आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने यह आदेश भी दिए हैं कि विलेज लिंक रोड्ज़ पर जो गड्ढे हैं उन पर पैच वर्क कर दिया जाए। मुझे विश्वास है कि मार्च के बाद तमाम राज्य में जितने भी विलेज लिंक रोड्ज़ हैं उनको हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदीश नेयर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 4-5 रोड्ज़ रहते हैं। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के जलसे के लिए भी दिन नियत हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि बाबन खेड़ा से हसनपुर रोड, होडल से गढ़ी पट्टी रोड, रसूल पुर से हसन रोड और होडल से खामी रोड तीन फुट चौड़ा करने का मन्त्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था और होडल बस स्टैंड से डवचिक रोड का काम भी होना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि पूर्व मन्त्री श्री धर्मवीर जी ने इस काम को करवाने का आश्वासन दिया था। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के रोड्ज़ की रिपेयर कब तक करवा दी जाएगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं और उन पर काफी ट्रैफिक भी चलता है। लेकिन स्पीकर साहब, धन का अभाव होने की वजह से अभी हम उन सड़कों को बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं और जैसे ही हमारी वित्तीय हालात ठीक होती है हम उन सड़कों को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मेरे ख्याल से जितनी भी सड़कों के बारे में यहां पर पूछा गया है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सड़क कोटपुतली से महेन्द्रगढ़ होती हुई दादरी आती है वह सड़क है और इस सड़क पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है। इसको सबसे पहले ठीक करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी बताएं कि क्या इस सड़क को नैशनल हाई-वे बनाने जा रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जैसे पहले राम बिलास शर्मा जी आश्वासन दे चुके हैं और यह जो इन्होंने कोटपुतली से दादरी वाली सड़क की बात की तो इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिए हैं और हम मिनिस्टर आफ सरफेस ट्रांसपोर्ट गवर्नमैंट आफ इण्डिया से जल्दी ही बात करने जा रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी उनको लिखकर भेज रहे हैं कि इस सड़क को नैशनल हाई-वे बना दिया जाए।

श्री कपूर चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शाहबाद से कलसाना, नलवी और ठोल होते हुए जो सड़क अम्बाला-हिसार रोड से मिलती है इसकी 20 कि०मी० लम्बाई है। इसमें बहुत बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और आजकल गन्ने का सीजन है। जमींदारों को उस सड़क से माल ढोना बहुत ही कठिन पड़ता है। हर रोज वहां पर ट्रालियां टूटती हैं। उस सड़क की तरफ मंत्री महोदय को जल्दी ध्यान देना चाहिए। दूसरे शाहबाद से मदनपुर, मलकपुर, ढकाला और अजराना होते हुए झांसा रोड से सड़क मिलती है उसकी 18 कि०मी० लम्बाई है। यह भी बहुत टूटी हुई है। मंत्री महोदय, इस बारे में भी बताएं कि इसको कब तक ठीक करवा देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, माननीय वैद्य साहब ने पहले जिस सड़क के बारे में बात की है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब शूगर मिलों में गन्ने की पिराई का सीजन शुरू हुआ था उससे पहले हमने प्रदेश की जितनी भी शूगर मिल्ज हैं उनके प्रबन्धकों से और अपने विभाग से बात की थी और हमने कोशिश यह की कि जो सड़कें और रास्ते शूगर मिलों को जाते हैं उन रास्तों में किसानों को आने जाने में दिक्कत न हो इसलिए उन सड़कों को हमने ठीक करने की कोशिश की है। माननीय वैद्य साहब, अगर समझते हैं कि यह सड़क जो इन्होंने बताई है शूगर मिल को जाती है तो ये अब भी हमें लिखकर दे दें हम इसको प्राथमिकता पर ठीक करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी सड़क के बारे में इन्होंने कहा है तो उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सड़कों की मरम्मत का रूटीन कार्य चलेगा तो उसमें हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री अनिल बिज़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सड़कों के रख-रखाव, उनको बनाने या उनको ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कोई कारपोरेशन बनाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो उसका एरिया आफ स्कोप क्या होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ है और हम जल्दी ही हरियाणा में सड़क और ब्रिजिज निगम बनाने जा रहे हैं। उसके दायरे के बारे में इन्होंने बात की है। उसमें हमारी कोशिश यह है कि आजकल धन के अभाव की वजह से न नई सड़कें बन पाती हैं और जहां पर रेलवे ओवर ब्रिजिज बनाने की आवश्यकता है वह भी नहीं बन पाते हैं। जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन पर भी कोई कार्य नहीं हो पाता है। यह जो हमने कारपोरेशन बनानी है इसका दायरा पूरा हरियाणा प्रदेश होगा। जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, रेलवे ओवर ब्रिजिज और बाईपास हैं हम उन सबको उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे और कारपोरेशन के माध्यम से हम उन सबको अपना करके प्रदेश के लोगों को यह सुविधा देने की कोशिश करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 944

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रामफल कुंडू सदन में उपस्थित नहीं थे)

Completion of Service Lane, Panipat

*975. **Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether it is a fact that the construction work of service lane on the G.T. Road within the limits of Municipal Committee, Panipat is lying incomplete; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which it is likely to be completed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : यह ठीक है कि जी०टी०रोड पर नगरपालिका पानीपत की सीमा में (कि०मी० 88.700 से कि०मी० 92.800 तक) सर्विस लेन का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। मूल ठेकेदार को मई 1996 में घटिया कार्य के कारण निष्कासित कर दिया गया था। कार्य भए ठेकेदार को जुलाई, 1998 में अलाट किया। सर्विस लेन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, वहां पर काम चालू है इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें मंत्री जी की बहुत मेहरबानी है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो पहले की सरकार ने वहां पर सर्विस लेन बनाई थी वह भी बिना बनी जैसी हो गई है। क्या मंत्री जी उसको भी रिपेयर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, पानीपत शहर बहुत भीड़ वाला शहर है, वहां पर कोई बाई पास नहीं है जिस वजह से वहां पर बहुत ही दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, गोहाना से असंध तक एक सड़क जाती है और वह गोहाना रोड से जाकर आगे जी०टी० रोड पर मिल जाती है। उसके लिए नाबार्ड से 50 लाख रुपये आ चुके हैं। इस रोड की वाइडनिंग के लिए वहां पर कुछ पेड़ कटने हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विभाग ने वहां पर पेड़ कटवाने के लिए कोई परमिशन ली है, क्या कोई कार्यवाही इस बारे में की है, यदि नहीं की है तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह परमिशन ली जाए ताकि उस रोड पर वह 50 लाख रुपये खर्च हो सकें और वहां पर एक मिनी बाई पास बनाया जाए ? इसके अलावा मंत्री जी ने जो जी०टी० रोड, पानीपत में सर्विस लेन बनाने का आश्वासन दिया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय जैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पानीपत शहर के बीचो बीच से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसमें बहुत भीड़ रहती है जिसके कारण वहां पर आने जाने वाले वाहनों को तथा आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने जो वहां पर पानीपत शहर से बाहर सड़क बनाने के बारे में बात कही है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमारे विभाग ने सोचा जरूर है लेकिन अभी कोई पुख्ता कार्यवाही का मन नहीं बनाया है। हम जो निगम बनाने जा रहे हैं तो इसके बनाने का एक उद्देश्य हमारा यह भी है और अगर हमारे विभाग ने इसको ठीक पाया तो हम पानीपत शहर के अन्दर एक ऐलीवेटिड हाई-वे बनाकर वहां से भीड़ को निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा यह प्रस्ताव बाई पास से भी अच्छा हो सकता है लेकिन स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि इसके लिए हमें साधन और समय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार इस बारे में चिंतित जरूर है कि पानीपत शहर के अंदर से इस समय जो वाहन गुजरते हैं उनको वहां से ठीक तरह से निकालने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाया जाए। जिस प्रस्ताव के बारे में जैन साहब ने कहा है

कि उसके बारे में अभी विचार होना है। स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि पिछले पांच-दस सालों से पिछली सरकारों ने न तो नहरों की सफाई के बारे में कोई ध्यान दिया और न ही प्रदेश की सड़कों की तरफ गौर किया। जहां तक इन्होंने पेड़ों को काटने की बात कही है पेड़ों को काटने के लिए हमें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वहां पर सड़कें बनाने में पेड़ रुकावट बनते हैं तो हम उनको काटने के लिए अनुमति लेंगे। इसके अलावा इनके शहर में जो सर्विस लेन टूटी हुई पड़ी है उसको भी हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, वहां पर सड़क बनाने के लिए विचार की बात नहीं है बल्कि वहां पर तो नाबार्ड से उसके लिए 50 लाख रुपये आ चुके हैं लेकिन वहां पर पेड़ों को काटने की वजह से काम रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको अपने महकमे से कहकर इस बारे में एक केस बनवाना चाहिए चाहे वह पेड़ काटने का केस हो या चाहे डायवर्शन का केस हो लेकिन यह केस बनवाकर जल्दी से जल्दी महकमे को भेजना चाहिए ताकि वहां पर वे पेड़ कट सकें और वह सड़क बन जाए एवं वह पैसा भी खर्च हो जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि हम जो नया निगम बनाने जा रहे हैं उसके मायने यही हैं कि पानीपत शहर के अंदर से ट्रैफिक ठीक तरह से निकाला जाए। इस बारे में हमारे विभाग का भी और सड़कों के शोध से संबंधित एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि पानीपत शहर में वहां पर जब तक एलीवेटिड हाई-वे नहीं बनेगा तब तक वहां के ट्रैफिक का कोई समाधान नहीं हो सकता। इसके अलावा जहां तक इन्होंने दूसरी सड़क के बनाने के बारे में कहा है तो ये किसी दिन मेरे कार्यालय में आ जाएं मैं इनके सामने ही अपने अधिकारी से बात कर लूंगा और इनकी दिक्कत का समाधान निकलवा दूंगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, करनाल-अम्बाला फोरलेनिंग के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है कि उसकी समय सीमा खत्म हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल अम्बाला फोरलेनिंग को बनाने की समय सीमा बढ़ायी गयी है या नहीं ? अगर बढ़ायी गई है तो कब तक और कब तक यह काम पूरा हो जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास इस बारे में पूरे तथ्य उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मैं इनको इस बारे में एक पत्र लिखकर पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने बताया कि सरकार पानीपत शहर में एक एलीवेटिड हाई-वे बनाने जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह हाईवे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि हम बनाने जा रहे हैं बल्कि मैंने यह कहा कि हमारा विभाग अभी इस बारे में सोच रहा है और हमारा मानना यह है कि अगर वहां पर एलीवेटिड हाई-वे बना तो वहां पर लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। हम जो प्रदेश के अंदर सड़क एवं पुलों का एक निगम बनाने जा रहे हैं तो यह इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। प्रदेश की इस तरह की जो भी समस्याएं होंगी चाहे वह रेलवे ओवर ब्रिज हो, चाहे ऐलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे बाई पास हो, चाहे स्टेट हाइवे हो, चाहे एम०डी०आर० हों उनके बनाने पर विचार कर रहे हैं. उनको बनाने का कार्यक्रम नहीं बनाया है।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, यह तो अभी मैंटूल ऐक्सरसाइज है।

श्री बिजेन्द सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अभी निगम के बारे में बताया है कि निगम बनाने जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जब लोक निर्माण विभाग है तो निगम बनाने से क्या फायदे होंगे, यह जरूर बताएं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, निगम से होने वाले फायदों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर ये कहें तो फिर से बताऊं। जहां तक नेशनल हाइवे का संबंध है यह सारी बातें हमारे हाथ में नहीं होती उसके लिए भारत सरकार से भी इजाजत लेनी पड़ती है, भारत सरकार जब इजाजत दे देती है तब नेशनल हाइवे अथौरिटी ही उस पर काम करती है और उसके बाद वह राज्य सरकार को इस बारे में बताते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-980

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बंता राम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या-812

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या-925

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Building of Charkhi Dadri Hospital

***968. Shri Sat Pal Sangwan :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that building of Hospital Charkhi Dadri recently taken over by the Government is in dilapidated conditions, if so, the time by which it is likely to be repaired; and

(b) the time by which building of Primary Health Centre, Achina is likely to be completed/start functioning ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) भवन शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयत्न किये जाएंगे।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने (क) के जवाब में बताया कि "जी नहीं"। ये बहुत ही सीनियर मंत्री हैं फिर भी ऐसा जवाब दे रहे हैं। शायद इन्होंने उस अस्पताल की हालत देखी नहीं है, जैसा महकमे के अफसरान ने इनको बता दिया उसी के आधार पर इन्होंने कह दिया

कि जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल पहले तीन साल तक बंद रहा। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी की मेहरबानी से व दादरी शहर की जनता की मांग पर 17-11-97 को इस अस्पताल को सरकार द्वारा टेकओवर किया गया था। टेकओवर करने के बाद तीन साल तक तो इसमें कबूतर घूसते रहे। इस अस्पताल की बिल्डिंग का बुरा हाल है। फिर भी मंत्री जी उस बिल्डिंग को बनाने के बारे में कह रहे हैं कि "जी नहीं"।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल शहीद उधम सिंह जैन के नाम से है इसको सरकार द्वारा 17-11-97 को टेकओवर किया था और अभी उस अस्पताल की जो गिफ्ट डीड है उसकी संस्था के जो मैम्बर्ज हैं उनके द्वारा 19 फरवरी को मीटिंग करनी है। हमने पी०डब्ल्यू०डी० से 2 लाख 49 हजार, 190 रुपये के ऐस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजे हुए हैं और जल्द ही मार्च तक वे एप्रूव होकर आ जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी। बाकी मैं सैशन के बाद जब सांगवान साहब हुक्म करेंगे मौके पर जाकर देख आऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह अस्पताल दादरी सब-डिवीजन के मुख्य केन्द्र पर स्थित है जो कि तीन विधायकों से संबंधित है एक तो मेरी कांस्टीच्यूएंसी, एक श्री नृपेन्द्र सिंह जी की व एक सतपाल सांगवान जी की कांस्टीच्यूएंसी से संबंधित है। पहले वहां पर जो सरकारी अस्पताल था उसमें 1993 और 1995 की बाढ़ में 9-9 फुट पानी चढ़ गया था और कई दिन तक पानी खड़ा रहा था जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल की सारी बिल्डिंग खराब हो गई थी। शहीद उधम सिंह जैन संस्था ने नई बिल्डिंग सरकारी अस्पताल के लिए दान कर दे दी है, वह करोड़ों रुपये की बिल्डिंग है, क्या सरकार उस पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके उसकी मरम्मत कराएगी। क्या आप यह उदारतापूर्वक बताएंगे कि यह काम कब तक हो जाएगा ? वाकई में उस बिल्डिंग की मरम्मत की जरूरत है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, (ख) भाग के बारे में मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अटेला पी०एच०सी० की बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है लेकिन उसमें अर्थ फिलिंग और सैनेटरी का काम बाकी है और अगर ऐसे ही उस बिल्डिंग का काम अधूरा रहा तो 2-4 महीने में वह बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकती है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस पी०एच०सी० की बिल्डिंग के इस काम को कब तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि अटेला पी०एच०सी० की बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है लेकिन सैनेटरी और अर्थ-फिलिंग का काम बाकी है जिस पर लगभग 19 लाख रुपये का खर्च होना है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह रही कि बिल्डिंग का एस्टिमेट पहले बना दिया गया और सैनेटरी और अर्थ-फिलिंग का एस्टिमेट बाद में बनाया गया। इसमें से 9.17 लाख रुपये सैनेटरी पर और 9.83 लाख रुपये अर्थ-फिलिंग पर खर्च होने हैं। हमने ये दोनों एस्टिमेट 18-10-98 और 14-11-98 को वित्त विभाग को भेजे हुये हैं और जैसे ही इन एस्टिमेट की एप्रूवल आ जायेगी पी०एच०सी० का बचा हुआ यह काम पूरा कर दिया जायेगा।

श्री कैलाश चन्द शर्मा : स्पीकर सर, पिछले साल वर्षा के दौरान नारनौल अस्पताल की चार-दीवारी गिर गई थी। इस बारे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था और उन्होंने इस काम के लिए पांच लाख रुपये मंजूर भी कर दिये थे और एक महीने में इस काम को पूरा करने को कहा गया था। लेकिन इन बातों को एक साल होने को आया है और उस चार-दीवारी को बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इस काम की अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है यह सवाल बनता तो नहीं है फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूं। जो यह चार-दीवारी अस्पताल की बननी है वह चार फुट चौड़ी और 150-200 फुट की चार दीवारी एक साथ बननी है और इस पर लगभग 2.80 लाख रुपये खर्च होंगे। इसका एस्टिमेट वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही एस्टिमेट की एप्रूवल आ जायेगी तो अस्पताल की चार-दीवारी बना दी जायेगी।

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में इड्डौदी पी०एच०सी० के लिए एक दानी व्यक्ति ने जमीन उपलब्ध करवा दी है परन्तु उस पी०एच०सी० का भवन अभी तक नहीं बनाया गया है, उस भवन का निर्माण कब तक करवा देंगे। दूसरा भिवानी जिले में ऐसी कितनी पी०एच०सी० हैं जिनके लिए पंचायतों ने जमीन उपलब्ध करवा दी है परन्तु उनका भवन निर्माण अभी तक नहीं किया गया है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, सारी डिटेल तो अभी मेरे पास नहीं हैं मैं माननीय सदस्य को सैशन के बाद इस बारे में सारी जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : लिखित रूप में दे देना।

श्री ओम प्रकाश महाजन : ठीक है सर।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में सूरपूरा खुर्द हैल्थ सब सैंटर का पोजीशन कब तक लेंगे क्योंकि इस हैल्थ सब सैंटर का भवन बन कर तैयार हो चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो उस भवन की मरम्मत करवाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में दिक्कत कुछ और ही है। जिस समय पंचायतों से जमीन ली जाती है, उस जमीन पर बिल्डिंग तो चाहे चांदनी चौक पर बना दी जाए या कहीं और बना दी जाए, उस पर खर्च तो एक समान ही आना है लेकिन अस्पताल के लिए गलत स्थान चुनने के कारण जो कि गांव से काफी दूरी पर स्थित होता है, उस अस्पताल में मरीज नहीं आते हैं। पिछले 10-12 सालों में ऐसी कई अस्पताल की बिल्डिंग्ज बनीं जो कि गांवों से काफी दूरी पर स्थित हैं। इस बारे में सांगवान साहब भी कह रहे थे कि बिल्डिंग तो बन गई लेकिन वहां पर अर्थ-फिलिंग नहीं हुई उसकी वजह से उसको सरकार द्वारा टेक-ओवर नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जैसे सोमवीर सिंह जी बता रहे हैं कि वहां पर सब-सैंटर की बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन वहां पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं बन सका है, उसकी वजह से उसको टेक-ओवर नहीं किया जा सका है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आज ही पता करके इस का जवाब दे दूंगा।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस सब-सैंटर की बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं वह गांव के बिल्कुल बीच में स्थित है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, उस बिल्डिंग को अब तक टेक ओवर क्यों नहीं किया गया है, इस बारे में जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं पता करके आज ही इनको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, मेरे हल्के के गांव-बामला की पी०एच०सी० बिल्कुल सड़क पर स्थित है, उसकी सड़क के साथ वाली चारदीवारी बननी बीच में ही रह गई है जिसके कारण उस में पशु वगैरह आ जाते हैं। यह मामला कई बार डिस्कस भी हो चुका है। क्या आप इस को बनवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, आपके हल्के के लिए तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक करोड़ छियालीस लाख रुपए मंजूर किए हैं तथा इसके लिए शायद 15 मार्च की तारीख भी निश्चित कर दी है। सैशन के बाद जिस दिन भी हम वहां पर जाएंगे तो उसी दिन बामला, पी०एच०सी० की सड़क के साथ वाली चारदीवारी को बनाने के बारे में भी मौके पर ही देख लेंगे तथा उसके बाद उसका एस्टिमेट बनवाकर उसे बनवा देंगे।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सब-सैंटर का जो अभी जिक्र हुआ था, उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि उसको कब तक टेक-ओवर कर लिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सैशन खत्म होते ही मैं अपने तौर पर पता करके इन को बता दूंगा।

11.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** अब प्रश्न काल खत्म होता है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं तथा आज यह सत्र भी खत्म होने वाला है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया प्रश्न काल का समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप अपनी बात शून्य काल के दौरान कह लेना।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी पूछने बाकी रहते हैं। इसलिए आप हमें प्रश्न पूछने के लिए समय दीजिए और प्रश्न काल का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दीजिए।

Mr. Speaker : That is not permissible under the Rules, because the Question Hour is already over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Replacement of Wooden Ballies with Iron Poles

***872. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace wooden Ballies (poles) with Iron Electric Poles in Mahesh Nagar, Gobind Nagar and other areas of Ambala Cantt.; and

(b) if so, the time by which the aforesaid work is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क एवं ख) लकड़ी की बल्लियों (पोलों) को लोहे के बिजली के पोलों के साथ बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धन की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए महेशनगर, गोबिन्दनगर तथा अम्बाला कन्टोनमैंट के अन्य क्षेत्रों में लकड़ी के पोलों को प्री-स्ट्रैस्ड सीमेंट कंकरीट पोलों के साथ बदलने का प्रस्ताव है।

Construction of New Roads

*978. **Shri Banta Ram :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads of the following villages :—

(i) from Guda to Gudi;

(ii) from Gundiyana to Kasyap Majra; and

(iii) from Hartan-Sikandra to Hiran Chhapar ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : गुंदियाना से कश्यप माजरा तक सम्पर्क सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। तथापि गुढ़ा से गुढ़ी और हड़ताल-सिकन्दरा से हिरण छप्पड़ तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Completion of the Grain Market Safidon

*945. **Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister of State for Horticulture & Marketing be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction work of New Grain Market, Safidon is lying incomplete;

(b) if so, the time by which the construction of the aforesaid Grain Market is likely to be completed ?

बागबानी तथा विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक) :

(क) इस मण्डी की चार दीवारी का कार्य पूर्ण है। दूसरे विकास कार्यों का निर्माण अभी शुरू किया जाना है।

(ख) इस मण्डी की रूपरेखा पुनः विचाराधीन है तथा कार्य चरणबद्धता से किया जाएगा। प्रथम चरण का कार्य शुरू होने के पश्चात् दो वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

विश्व-बैंक से लिए गए ऋण से संबंधित मामला

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मुद्दा रह गया है तथा आज सत्र भी खत्म होने जा रहा है। वह यह है कि बिजली के उत्पादन तथा प्रसारण में सुधार के बारे विश्व बैंक से लिए गए ऋण के संबंध में हम सरकार से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर यहां पर डिस्कशन करवाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप सभी इस मुद्दे पर डिस्कस कर सकते हैं।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देने की बात चली है। विश्व बैंक से बिजली के सुधारीकरण हेतु हम 2400 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये लोन बिजली की जनरेशन के लिए या बिजली की ट्रांसमिशन के लिए ले रही है। उस पर रेट आफ इंट्रस्ट क्या है ? उस रेट आफ इंट्रस्ट को देने से हमारे यहां बिजली कितनी मंहगी

होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक जो 2400 करोड़ रुपये का लोन दे रहा है उस लोन को देने की भी तो कोई कंडीशन होगी। हम जो किसानों को सबसिडी दे रहे हैं क्या उसके ऊपर तो उस लोन का कोई असर नहीं पड़ेगा ?

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अत्तर सिंह सैनी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने जो पहला सवाल पूछा है कि हमने वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये का लोन क्यों लिया है, इतना कर्ज लेने की क्या जरूरत थी। इस बारे में मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि आज से 28-30 साल पहले हमारे मुख्य मंत्री महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाई थी और उस समय जो बिजली के खंबे, तार और ट्रांसफार्मर आदि लगाये गये थे उनकी अब उम्र खत्म हो चुकी है। क्योंकि उसके बाद दूसरी सरकारों ने उनकी मरम्मत नहीं करवायी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने चुनाव के दौरान हरियाणा की जनता से वायदा किया था कि वे हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देंगे। अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए चौधरी बंसी लाल जी ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री महोदय से हरियाणा प्रदेश के लिए बिजली लेने के लिए बात की और वे मान भी गये थे। उड़ीसा के मुख्य मंत्री महोदय प्रदेश को बिजली देने के लिए तैयार हो गये थे। लेकिन हमारे इंजीनियर्ज ने कहा कि हमारे ट्रांसफार्मर और बिजली की तारें आदि बेकार हो चुकी हैं। इन ट्रांसफार्मर्ज और तारों से जो बाहर से बिजली आयेगी वह पूरी नहीं आ सकती और उन पुरानी ट्रांसफार्मर्ज और बिजली की तारों को रिन्यूवेट कराने के लिए पैसा चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पास पैसा नहीं था और पैसा दो तरह से ही मिल सकता था। एक तो जनता पर नये कर लगाकर और दूसरा किसी से लोन लेकर। जब यह बात हमारे मुख्य मंत्री महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि हम कर तो लगायेंगे नहीं, पैसा किसी एजेंसी से उधार ले लो और बिजली बोर्ड के सिस्टम को ठीक करवाओ। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि जब बिजली से पैसा आना शुरु हो जायेगा तब हम अपना यह कर्जा उतार देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है ताकि हरियाणा प्रदेश में बिजली के ट्रांसफार्मर, तारें आदि को ठीक करवाकर हरियाणा प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली दे सकें और चौधरी बंसी लाल जी अपना वायदा पूरा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे माननीय साथी दूसरी बात यह पूछ रहे थे कि इस लोन पर रेट आफ इंट्रस्ट क्या होगा ? इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसका रेट आफ इंट्रस्ट 13% होगा। इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हमें यह पैसा सीधा नहीं मिल रहा है बल्कि यह पैसा लोन के रूप में पहले भारत सरकार को मिलेगा और भारत सरकार बाद में हमें देगी। हमें जो 2400 करोड़ रुपये मिलेंगे उसमें से हमें 1680 करोड़ रुपये वापिस देने होंगे। इस तरह से हमें 70% पैसा वापिस देना होगा और 30% पैसा हमें सबसिडी के रूप में मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हम टोटल लोन में से 30% सबसिडी का पैसा निकाल दें तो हमें रेट आफ इंट्रस्ट 9.1% ही पड़ेगा। इससे कम इंट्रस्ट पर पैसा कहीं से भी नहीं मिलता।

Shri Sat Pal Sangwan : Whether it is a compound interest or a simple interest ?

श्री अत्तर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, हमें इसका भुगतान 9.1% इंट्रस्ट प्रति वर्ष के हिसाब से करना पड़ेगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है उस के बाद किसानों को हम जो सबसिडी देते हैं क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा ? क्या बिजली के रेट में भी कुछ बढ़ोत्तरी होगी ?

श्री अत्तर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सतपाल सांगवान जी को बताना चाहूंगा कि किसानों को जो बिजली पर सबसिडी दी जाती है इसके बारे में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने 1971 में एक स्लैब सिस्टम लागू किया था और उस समय किसानों को बिजली बहुत सस्ती दी जाती थी। लेकिन उसके बाद आज तक जो पिछली सरकारों के मुख्य मंत्री रहे हैं उन्होंने कई बार बिजली के रेट बढ़ाये हैं और लगभग दुगुने कर दिये हैं। उस वक्त 25 पैसे प्रति यूनिट किसान को बिजली दी जाती थी जो कि अब बढ़कर 50 पैसे प्रति यूनिट तक हो गई है। लेकिन हमारी एच0वी0पी0-भाजपा गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों को बिजली पर सबसिडी ज्यों-की-त्यों जारी है और अभी तक उस स्लैब सिस्टम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और आने वाले समय में भी 50 पैसे यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली मिलती रहेगी और फ्लैट रेट पर भी 65/- रुपये प्रति बी0एच0पी0 के हिसाब से बिजली मिलती रहेगी। इसके अलावा बिजली पर रियायती टैरिफ भी ज्यों-का-त्यों रहेगा, ऐसा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को आश्वासन दिया हुआ है। किसानों के लिये यह सबसिडी जारी रहेगी और बिजली फिलहाल ज्यादा महंगी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई राजनीतिक विरोधी भाई कहते रहते हैं कि बिजली के सुधारीकरण के बाद बिजली 5/- रुपये प्रति यूनिट, 6/- रुपये प्रति यूनिट या 10/- रुपये प्रति यूनिट मंहगी हो जायेगी, ऐसा ही कुछ का कुछ कह देते हैं। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने बिजली के रेट निश्चित करने के बारे में एक ऐसा कानून बनवा दिया है कि अब सरकार के हाथ में बिजली का रेट बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं रहेगी और यह कानून पास भी हो चुका है। अब सरकार के पास ताकत ही नहीं है कि वह बिजली के रेट बढ़ा सके। यह रेट केवल रैगुलेटरी कमीशन ही बढ़ा सकता है और इस रैगुलेटरी कमीशन का मतलब एक किस्म की अदालत है जो कि सरकार के अधीन नहीं है। जब बिजली के रेट बढ़ाने होंगे तो जैनको और ट्रांसको ये दो कंपनियां इस रैगुलेटरी कमीशन को एक दरखास्त देंगी। जब वे दरखास्त देंगी तो रैगुलेटरी कमीशन प्रदेश की जनता से पूछेगा कि किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज हो तो वह आकर ऐतराज दायर कर सकता है। वे वकील के माध्यम से अपना एतराज दायर कर सकता है। इस रैगुलेटरी कमीशन में कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, किसान या समाज का कोई भी वर्ग अपनी बात कह सकता है। यदि रैगुलेटरी कमीशन को उनका ऐतराज सही लगेगा तो रेट नहीं बढ़ाये जायेंगे और उनका ऐतराज सही नहीं लगेगा तो रैगुलेटरी कमीशन बिजली के रेट बढ़ा सकता है। फिर भी रैगुलेटरी कमीशन के फैसले के खिलाफ भी किसी को ऐतराज हो तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसलिये बिजली के रेट बढ़ाने वाली बात सरकार के बस की नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री सांगवान ने बिजली की सबसिडी के एक अहम मुद्दे के बारे में चर्चा की है और हमारे बिजली राज्य मंत्री श्री सैनी जी ने भी इस बारे में विस्तार से सदन को जानकारी दी है। अध्यक्ष महोदय यह जो हविपा-भाजपा गठबन्धन की चौधरी बंसी लाल जी की सरकार है, इसने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया अपनाई है उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि मिली है, उसको एक मान्यता मिली है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिजली के सुधारीकरण की प्रक्रिया जब शुरु की गई तो किसी को यह विश्वास ही नहीं हुआ था कि हरियाणा सरकार इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना को सिरे चढ़ा पायेगी। हमारे विरोधी भाईयों ने भी उस पर यहां चर्चा की है और वे कहते हैं कि यह सरकार बिजली उद्योगपतियों को बेच रही है। हरियाणा के बिजली बोर्ड को ही बेच रही है। इसलिये 24 घण्टे बिजली देने का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। लेकिन अध्यक्ष

महोदय, हरियाणा प्रदेश को 40000 मैगावाट बिजली चाहिए जबकि हरियाणा के पास केवल 863 मैगावाट ही बिजली है और एक दम इतना टाइम कन्जयूमिंग कार्यक्रम कोई सरकार कैसे ला सकती है और तीन साल पहले तो इतनी ज्यादा बिजली जनरेशन में नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को और उनकी सोच को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जो सरकारें पिछले 20 साल से या 26 साल से बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में कोई कदम भी नहीं उठा सकी और वे सरकारें बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में कोई कदम रखने में डरती रहीं हैं। हरियाणा का यह इतिहास है कि जब किसान के खेत में गेहूं की फसल पकनी होती है, जब सरसों में दाना पड़ने की बारी आती है तो खेत में पानी की सख्त जरूरत होती है लेकिन किसान को जरूरत के हिसाब से उतनी बिजली नहीं मिलती इसलिये वे आंदोलनस्वरूप सड़क पर आते हैं और इस बात की गवाही यह है कि पिछली सरकार के समय में आंदोलन के दौरान 25 किसान बिजली की मांग करते हुये गोली से मारे गये थे। चाहे वह कादमा था, चाहे वह नीलिंग था, चाहे वह नारनौल था, चाहे वह नारनौंद था और चाहे कोई दूसरी जगह थी। यह इस बात का प्रमाण है कि अढ़ाई साल पहले इस सरकार ने जिद्द करके, चौधरी बंसी लाल के अनुभवी दिमाग की प्रतिज्ञा से कि हम हरियाणा प्रदेश में बिजली का उत्पादन करके दिखाएंगे, बिजली के ज्यादा उत्पादन की ओर ध्यान दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भी उस समय लोन देने में हिचकिचाहट दिखाई लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने और मुख्य मंत्री जी की बिल पावर ने सदन के समर्थन ने वह सपना साकार करके दिखाया है। पाकिस्तान से लोग हमारी बिजली की जनरेशन को समझने के लिए कई बार यहां आ चुके हैं। आज पैरिस में हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन को इसलिए बुलाया जाता है कि तुमने इतने थोड़े समय में यह कारगर कदम कैसे उठाया, यह प्रक्रिया कैसे प्रारम्भ की। स्पीकर साहब, पहले उद्घाटन होते थे लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होती थी। फरीदाबाद में गैस पर आधारित 432 मैगावाट की क्षमता का प्रोजैक्ट जिसका उद्घाटन मंजहेड़ी गांव में उस समय के प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने किया था उस पर बिजली बोर्ड वालों ने दिन रात काम किया अब उसका एक फेस बिजली देने के लायक होने वाला है। सदन के कुछ विधायकों के दिमाग में और हरियाणा प्रदेश के कुछ लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी थी कि ये वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपए लोन लेंगे और वर्ल्ड बैंक उसके लिए अपनी शर्तें रखेगा, किसानों को बिजली मंहगी मिलेगी। इसी प्रक्रिया के दौरान में जहां इस सरकार पर यह इल्जाम था कि वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है उसकी ब्याज की दरें बहुत मंहगी होती हैं उस बारे में हमारे बिजली राज्य मंत्री श्री अतर सिंह बैरी जी ने बताया कि उस लोन की ब्याज की दर 9.1 परसैंट है। आज हमारा कोआपरेटिव सैक्टर हो, चाहे कोई भी सैक्टर हो, यह किसी भी सैक्टर से सबसे सस्ती ब्याज की दर है। आज हरियाणा प्रदेश में किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश में किसानों को सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली मिल रही है। हमारी सरकार ने बिजली की जो स्लैब प्रणाली बनाई है उसके हिसाब से 50 पैसे से भी कम पैसा प्रति यूनिट का किया है। मैंने इसी सैशन में एक दिन निवेदन किया था कि हमारी सरकार ने चार स्लैब बनाए हैं। जो ट्यूबवैल 101 फुट तक गहरे हैं जहां से मोटर पानी उठाती है उस किसान से 50 पैसे प्रति यूनिट की घटा कर 38 पैसे प्रति यूनिट लिया जाएगा। जो ट्यूबवैल 151 फुट से 200 फुट तक गहरे हैं उस किसान का 38 पैसे प्रति यूनिट से घटा कर 31 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसके अलावा महेन्द्रगढ़, लौहारू और मेवात के इलाकों में जहां पर पानी 400 फुट गहरा है उन इलाकों के किसानों से बिजली का रेट 23 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। अम्बाला-पंचकूला शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में जहां पर किसान डर के मारे ट्यूबवैल नहीं लगाते थे वहां पर किसान ट्यूबवैल लगाने लग गए हैं। जो ट्यूबवैल्ज के लिए फलैट रेट 65 रुपए बी०एच०पी० के हिसाब से

[श्री राम बिलास शर्मा]

लिया जाता था वह दूसरे स्लैब में 65 रुपए से बढ़ा कर 50 रुपए कर दिया गया है। तीसरे स्लैब में यह 40 रुपए कर दिया गया है और चौथे स्लैब में 30 रुपए कर दिया गया है। उड़ीसा से लोग हमारे सिस्टम को देखने के लिए आए। बिजली उत्पादन में जो हमारी रूचि है जो हमारी गम्भीरता है उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने पहली 240 करोड़ रुपए की किश्त दे दी है और वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा है कि इस समय तक की इस बारे में सरकार की जो कारगुजारी है, इस समय तक की सरकार की जो इस बारे में गम्भीरता है हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हम अपना सन्तोष प्रकट करते हैं। स्पीकर साहब, इस महान सदन के सामने कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे बिजली बोर्ड का बिजली उत्पादन का जो प्रोसैस है उससे किसानों को बिजली मंहगी नहीं मिलेगी। हमारी सरकार का प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का जो सपना था उसके बारे में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने उस समय खुदशा जाहिर किया था लेकिन अब प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने की बात पूरी होने लगी है तो उनको बड़ी मुश्किल हो गई है। गांव का आदमी, शहर का आदमी और कारखाने का मालिक सब एहसास करने लगे हैं कि हां यह सरकार इस रफ्तार से हमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकती है। स्पीकर साहब, मैंने आपके सामने यही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हम किसानों को जो बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं वह सरकार को 2.88 रुपये पर यूनिट पड़ती है यानी सरकार को इतना खर्चा वहन करना पड़ता है। दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि एच(0)वी(0)पी(0) व वी(0)जे(0)पी(0) की मिली जुली जो सरकार है वह किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मैं अपने मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र को बिजली का 26 प्रतिशत दे रहे हैं वहां हमारे प्रदेश हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 50 प्रतिशत बिजली दे रहे हैं और गेहूं व धान की बिजाई व कटाई के समय में 50 परसैंट से अधिक बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं।इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले स्लैब प्रणाली के तहत 63 हजार किसानों को फायदा होता था जो अब बढ़कर 1.25 लाख किसानों को फायदा होगा यानी पहले से दुगुने किसानों को फायदा होगा।

श्री सतपाल सिंह सांगवान : स्पीकर साहब, हमारे शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी व बिजली मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से बिजली की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया है। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा मुख्य मंत्री जी का बड़ा हार्दिक धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारे कई साथियों जैसे सोमबीर, नृपेन्द्रसिंह, जगदीश जी व अन्य कई साथियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्लैब प्रणाली के तहत 30 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से किसानों को बिजली मिल जायेगी। सरकार ने ऐसी सुविधा किसानों को देकर वाकई बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं एक बात यह और जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का ट्रांसको और जेनको कम्पनी के अलावा बिजली बोर्ड की कोई और कम्पनी या कार्पोरेशन बनाने का विचार है।

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, अब आप बैठिये। इसका जवाब बाद में मुख्य मंत्री जी देंगे।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, a Minister will move the motion under Rule 15.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, a Minister will move the motion under Rule 16.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

> That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh LIBRARY

[Shri Attar Singh Saini]

Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 1999-2000 be suspended.

Sir, I also move—

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1999-2000, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 1999-2000 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1999-2000, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.

for the year 1999-2000 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1999-2000, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now a Minister will lay the paper on the Table of the House.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I have to lay on the Table of the House the Grant Utilization Certificate and Audit report for the year 1996-97 of the Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) लोक लेखा समिति की 48वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now Shri Sat Pal Sangwan, Chairperson of the Committee on Public Accounts will present the Forty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1998-99, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 (Remaining paragraphs) and 31st March, 1995 (Civil and Revenue Receipts).

Shri Sat Pal Sangwan (Chairperson of the Committee on Public Accounts) : Sir, I have to present the Forty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1998-99, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 (Remaining paragraphs) and 31st March, 1995 (Civil and Revenue Receipts.)

(ii) अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण समिति की 24वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Ramesh Kashyap, Chairperson of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty Fourth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 1998-99.

श्री रमेश कश्यप (चेयरपर्सन, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति) :—अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 24वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(iii) अधीनस्थ विधान समिति की 30वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now Shri Kapoor Chand Sharma, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirtieth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1998-99.

श्री कपूर चन्द शर्मा (चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन की 30वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(iv) सरकारी आश्वासन समिति की 30वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Somvir Singh, a member of the Committee on Government Assurances will present the Thirtieth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1998-99.

Shri Somvir Singh (A member of the Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Thirtieth report of the Committee on Government Assurances for the year 1998-99.

बिल्ज—

1. हरियाणा विनियोग (सं० 1) विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1999 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. हरियाणा विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved.

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर कुछ कहने में आनन्द तब आता जब सामने वाले भाई यहां पर बैठे होते। हाउस ने विपक्ष के 9 सदस्यों को ही सस्पैंड किया था और बाकी 26 सदस्य तो यहां पर अपनी बात कह सकते थे। अध्यक्ष महोदय, 3 विपक्ष के मैम्बर्ज कैप्टन अजय सिंह, श्री खुर्शीद अहमद और श्री देवराज दीवान रोजाना विधान सभा में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। सदन का उन्होंने वायकाट किया हुआ है और टी0ए0, डी0ए0 के लिए हाजिरी लगाने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक प्रैस नोट में जो बात कही है मैं उनका जवाब दे दूं तो अच्छा रहेगा। उन्होंने एक बात यह भी कही कि इस बार का बजट प्लानिंग कमीशन से डिसकस किए बगैर पेश किया जो कि गलत है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले साल भी हमने जुलाई में बजट पेश किया लेकिन उससे पहले हमने वोट ऑन अकाउन्ट पास किया और बाद में जुलाई में बजट पास किया। उस समय हमें भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन से इस बजट को डिसकस करने का टाईम सितम्बर में मिला था और सितम्बर में हमने बजट डिसकस किया। इसलिए इस तरह से कई बार ऐसा हो जाता है। यदि प्लानिंग कमीशन के साथ बजट फाईनेलाइज भी हो जाता है तो उसके बाद भी प्लान घटता बढ़ता रहता है according to the resources available to the State Government and Central Government. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस साल का प्लान यानी 1998-99 का 2260 करोड़ रुपये से घटकर 1800 करोड़ रुपये हो गया है और अब सरकार उसको घटाकर 1800 करोड़ रुपये से 1400 करोड़ रुपये करने जा रही है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा यह जो प्लान है यह 1800 करोड़ रुपये का ही इम्पलीमैन्ट होगा। इस प्लान के कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार सैंट्रल असिसटैन्ट्स 354 करोड़ 51 लाख रुपये की कम आयी जबकि यह सैंट्रल असिसटैन्ट्स 951 करोड़ 17 लाख की आनी थी लेकिन आयी केवल 596 करोड़ 66 लाख रुपये की। अध्यक्ष महोदय, हमको वर्ल्ड बैंक से या ओ0ई0सी0एफ0 से फर्दर लोन मिलने थे, वह नहीं मिले। इसका सबसे बड़ा कारण परमाणु विस्फोट का तजुर्बा रहा। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में रिसैशन भी आयी और इस रिसैशन के कारण हमारे अपने भी रिसोर्सिज घट गए। जो हमारा स्टेट शेयर सैंट्रल टैक्सिज का आना था वह भी 126 करोड़ 60 लाख रुपये कम आया। इसके साथ ही हमारा कुछ नॉन प्लान एक्सपैंडीचर भी हो गया। आठ करोड़ रुपये हमने म्यूनिसिपल कमेटीज को दे दिए, सात करोड़ रुपये हमने कोआपरेटिव शुगर मिल्ज को दिए ताकि वे किसानों को उनके गन्ने की कीमत दे सकें, साढ़े आठ करोड़ रुपया हमने पुलिस फोर्स को स्ट्रैंथन करने के लिए दिया और इसके अलावा हमने फ्रीडम फाइटर्ज की पेंशन भी बढ़ा दी जिस पर हमको पौने दो करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमारा 1800 करोड़ रुपये से नीचे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह से एक बात ओमप्रकाश चौटाला ने अपनी स्टेटमैन्ट में यह भी कही—

"Due to anti-farmer policies of the Government including poor power supply and inability to clear water logged fields, the

agricultural production in the State decreased by 8.4% in which the reduction in the production of commercial crops of cotton, sugarcane and oil-seeds was to the tune of 25.1, 16.3 and 58.1% respectively."

अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर्ज को बताना चाहूंगा कि 1997-98 में बहुत एक्सैसिव रेन हुई यह रेन पकी पकायी फसलों के ऊपर हुई जिससे हमारी फसलों का नुक्सान हुआ, किसानों का भी नुक्सान हुआ, सरकार का भी नुक्सान हुआ और इससे सभी को परेशानी भी हुई। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार ने जमीनों में से वर्षा का पानी नहीं निकाला इसलिए रबी की फसल की काश्त पूरी नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय, हमने दो लाख 93 हजार एकड़ जमीन का पानी दो महीने में निकाला है जो कि आज तक हरियाणा प्रदेश में एक रिकार्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार रबी की फसल की काश्त कम हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से सदन को बताना चाहता हूं कि 1997-98 के मुकाबले इस साल रबी की फसल की ज्यादा काश्त हुई है। 1997-98 में 30 लाख 29 हजार हैक्टेयर रबी की फसल काश्त हुई थी और इस साल 31 लाख 33 हजार हैक्टेयर रबी की फसल काश्त हुई है। इसका मतलब 2 लाख 60 हजार हैक्टेयर रबी की फसल की ज्यादा काश्त हुई है और ज्यादा काश्त होने की बजह यह है कि इस भाजपा-हबिपा गठबन्धन की सरकार ने किसान की जरूरत, किसान की तकलीफ महसूस करके बड़ी तेजी से जमीनों में से पानी निकाल दिया। सरकार के इस काम से किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हम इस बार टोटल रबी और खरीफ की पैदावार 114.42 लाख टन और ऑइल सीड्स की पैदावार 9 लाख 20 हजार टन होने की आशा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इंकम पर चौटाला साहब यह बयान दे रहे हैं—

"Per Capita Income has declined by Rs. 28 from Rs. 4025/- to Rs. 3997/- and the gross domestic product has shown an all time low increase of merely 1.1 per cent between 1997 and 1998."

Speaker Sir, in this connection, I would like to explain in detail. The Per capita income at constant prices (1980-81) which was Rs. 3679/- in 1995-96 has increased to Rs. 3997/- in 1997-98, recording an increase of 8.6 per cent. The statement that the gross state domestic product between 1997 and 1998 has shown an all time low increase of 1.1% is not correct. The all time low growth of— 0.08 per cent in gross state domestic product was recorded in 1987-88 during the regime of Ch. Devi Lal. Further, the state domestic product indicated a growth of only 0.2 per cent in 1992-93 during the regime of Ch. Bhajan Lal. It is informed that the State domestic product has increased from Rs. 7455 crores in 1995-96 to Rs. 8381 crores in 1997-98, indicating a growth of 12.4 per cent.

अध्यक्ष महोदय, टैक्स रिसीट्स के बारे में ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि the Tax receipt projections are unrealistic and have shown a tendency of declining upto December, 1998 and there is rampant corruption prevalent in the State. अध्यक्ष महोदय, इस साल दिसम्बर महीने के अंत तक हमारी 1383 करोड़ रुपये की टैक्स रिसीट्स की कलैक्शंस हो जायेगी और पिछले साल दिसम्बर माह के अंत तक हमारी टैक्स रिसीट्स की कलैक्शंस 1383 करोड़ की थी, इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले में यह 46 करोड़ रुपये ज्यादा है लेकिन श्री चौटाला को यह

[श्री बंसी लाल]
कलैक्शंस कम लगती है। सबसे बड़ी तकलीफ हमारे विरोधी भाइयों को बिजली के बारे में है। पिछले सैशन में अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि वे कहा करते थे कि बिजली का रेट 6/- रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा, फिर कहते थे कि यह सरकार प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती, कहां से देगी। अध्यक्ष महोदय, हम इसी साल 30 जून से हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) श्री ओमप्रकाश चौटाला ने कहा कि The generation of electricity fell by 346 million units in the previous year in spite of an increase in the generating capacity.

अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय बिजली की कैपेसिटी 863 मैगावाट थी और उन्होंने बिजली का जनरेशन 2525 मिलियन यूनिट किया और 1990-91 में जब उन्हीं की सरकार थी तो उस समय बिजली का जनरेशन 2343 मिलियन यूनिट हुआ यानी 7.2 परसैंट बिजली का जनरेशन कम हुआ। जब 1995-96 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी उस समय जो बिजली का जनरेशन था वह टोटल 3300 मिलियन यूनिट था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की गठबन्धन सरकार 1996-97 में सत्ता में आई है उस दिन से चौटाला और चौधरी देवीलाल जी की सरकारों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा बिजली का जनरेशन हुआ है। चौधरी भजन लाल जी की सरकार के वक्त 1995-96 में बिजली का जनरेशन 3300 मिलियन यूनिट था और हमने आते ही एक साल में 3671 मिलियन यूनिट जनरेशन कर दिया यानी 11.23 परसैंट ज्यादा कर दिया। 1997-98 में हमने बिजली के जनरेशन को बढ़ाकर 3757 मिलियन यूनिट कर दिया और इस साल जनवरी तक 3139 मिलियन यूनिट और 31 मार्च 1999 तक 3830 मिलियन यूनिट बिजली का जनरेशन करने का एस्टिमेट है जोकि 1.9 प्रतिशत ज्यादा है। इसके बाद प्लांट लोड फैक्टर पिछले नौ सालों में हाईएस्ट 49.6 प्रतिशत रहा है जिसमें से श्री चौटाला की सरकार के समय में 44 प्रतिशत था और उनकी सरकार आने के एक साल बाद 34 प्रतिशत हो गया। चौधरी भजन लाल जी की सरकार में प्लांट लोड फैक्टर 43 प्रतिशत हो गया। जब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी गठबन्धन की सरकार 1996-97 में सत्ता में आई तो यह 48 प्रतिशत हो गया और 1997-98 में 49 प्रतिशत और 1998-99 में 49.6 प्रतिशत हो गया। हमने अपने ही रिकार्ड को तोड़ा है इन विपक्ष के भाइयों की पिछली सरकारों का ही रिकार्ड नहीं तोड़ा। इस प्रकार अगर हिसाब लगायें तो जब लोक दल की सरकार थी तो जनरेशन 7.2 प्रतिशत डाऊन हुआ था और 1990-91 के मुकाबले 1996-97 में हम 56 प्रतिशत ज्यादा बिजली पैदा कर पाये हैं और 1997-98 में 1990-91 के मुकाबले 60.5 प्रतिशत बिजली ज्यादा पैदा की है। अध्यक्ष महोदय, 1990-91 में प्लांट लोड फैक्टर 34 परसैंट था और आज उसके मुकाबले हम हिसाब लगायें तो we are much higher than that. They have said that the per M.W. generation of installed capacity fell by 5.66 in the same year. Mr. Speaker Sir, the per M.W. generation of Panipat, Faridabad and Yamunanagar generation projects has increased, not gone down. जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जब लोकदल की सरकार 1989-90 में थी जब बिजली की पैदावार 2.71 मिलियन यूनिट थी, 1995-96 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में बिजली की पैदावार 3.82 मिलियन यूनिट थी और आज भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी गठबन्धन की सरकार के समय 1996-97 में 4.25 मिलियन यूनिट बिजली की पैदावार है। 1997-98 में बिजली की पैदावार 4.35 मिलियन यूनिट थी और इस साल हम इस को 4.5 मिलियन यूनिट कर देंगे। हम तो पहले की सरकारों के मुकाबले हर लिहाज से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के भाइयों को तो करने

की आदत है, वे कहे बिना नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है, विपक्ष के भाइयों ने सरकार का जवाब सुनने की कोशिश कभी नहीं की है। पिछली बार तो विपक्ष के कुछ साथी सदन में बैठे रह भी गए थे लेकिन आमतौर पर वे हर बार सदन से वॉक आउट करके चले ही जाते हैं। जहां तक बिजली की जनरेशन का ताल्लुक है उसके बारे में हमें पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें Secretary, Power, Government of India conveyed the appreciation of the Prime Minister who had reviewed the power generation in the country and was especially pleased to convey that the generation of Panipat Thermal Power Project was appreciable from 1-4-1997 to 30-9-1997. It was appreciated by the Prime Minister himself.

अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि बिजली की खपत प्रति व्यक्ति घट रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल के वक्त में यह खपत प्रति-व्यक्ति 289 यूनिट थी, फिर 311 यूनिट हो गई। चौधरी भजन लाल के समय में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 458 यूनिट हो गई और वर्तमान सरकार आने के बाद यह खपत 462 यूनिट थी तथा पिछले साल क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई थी इसलिए बिजली की खपत कम होने के कारण यह खपत 438 यूनिट पर आ गई है। इस साल यह खपत प्रति व्यक्ति 465 यूनिट ऐस्टिमेटिड है जो कि "ऑल टाईम हाई" है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के मुकाबले हमारे वक्त में बिजली की उपलब्धता सबसे ज्यादा है। इस साल की जो स्थिति है i.e. 371 lac unit per day as compared to 348 lac unit in the previous year. And the estimated per capital consumption of electricity this year is 465 unit. यह भी हम ने अपना ही रिकार्ड तोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जब 1967-68 में हमने पॉवर प्लांट्स लगाए थे तो उससे पहले बिजली की प्रति व्यक्ति खपत हरियाणा में 57 यूनिट थी जो कि आज प्रति व्यक्ति खपत 465 यूनिट हो गई है और जब हम 24 घंटे बिजली देना शुरू कर देंगे तो यह खपत और अधिक बढ़ जाएगी। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि ट्यूबवैल-कनैक्शन इस सरकार ने 2.69 प्रतिशत काट दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति बिजली खर्च करता है और उसका बिल अदा नहीं करता है तो उसका कनैक्शन तो हम कार्टेंगे ही तथा हम ही क्या कार्टेंगे, पिछली सरकारों ने खुद भी ऐसे कनैक्शन काटे हैं। 1987-88 में लोकदल की सरकार के समय ट्यूबवैल्ज के 1372 कनैक्शन काटे गए, 1988-89 में लोकदल की ही सरकार के समय ट्यूबवैल्ज के 908 कनैक्शन काटे गए तथा 1989-90 में भी इन्हीं की सरकार के समय में 645 ट्यूबवैल कनैक्शन काटे गए। इसलिए वर्तमान सरकार यह कोई नया काम नहीं कर रही है। जो कोई भी व्यक्ति बिजली खर्च करेगा तथा उसका बिल अदा नहीं करेगा, उसके ट्यूबवैल का कनैक्शन तो हम कार्टेंगे ही। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा all the projections in the Budget are a figment of imagination of unsucccessful Government.

अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी ऊपर वर्णित इस परफोर्मेंस के बावजूद भी यह सरकार असफल है तो ये दूसरे भाई तो सारी उम्र भी सफल नहीं हो सकते हैं। 30 जून, 1999 तक हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने की वर्तमान सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए हमने क्या प्रबंध किया है, उसको भी हरियाणा प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। हम बिजली कहां से लाएंगे ? 24 घंटे हम बिजली प्रदेश के अंदर कैसे दे पाएंगे ? इसके लिए अध्यक्ष महोदय, हमने दो बार, एक बार सितम्बर में और एक 12.00 बजे बार नवम्बर में और शायद पिछली जून में पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देकर एक्सपैरीमेंट किया था और 24 घंटे बिजली देने से ज्यादा से ज्यादा 42 लाख यूनिट बिजली की कमी आई थी।

[श्री बंसी लाल]

अध्यक्ष महोदय, 30 जून, 1999 तक हमारे पास 377 मैगावाट बिजली आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 143-143 मैगावाट के 2 यूनिट फरीदाबाद में लगने से हमें 76 लाख यूनिट बिजली मिलने लगेगी। जबकि हमें जरूरत सिर्फ 40-42 लाख यूनिट की है, ज्यादा से ज्यादा 45 लाख यूनिट की होगी। इसके बाद मार्च, 2000 तक 622 मैगावाट तथा दिसम्बर, 2000 तक 268 मैगावाट बिजली और आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह बिजली कहां से आयेगी इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 मैगावाट बिजली मारूति उद्योग से मिलेगी, 25 मैगावाट बिजली लिक्विड फ्यूल से चलने वाले प्लांट गुड़गावां से मिलेगी जो कि नवम्बर में चालू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे जो प्रोजैक्टस हैं उनमें एन०टी०पी०सी० फरीदाबाद की यूनिट-1 और यूनिट-2, 143-143 मैगावाट जून तक चालू हो जायेंगी। इस तरह से हमें टोटल 58 लाख यूनिट बिजली और मिलेगी तथा हमें बिजली की जरूरत सिर्फ 42 लाख या 45 लाख यूनिट की है। इसके अतिरिक्त पानीपत में 4 पुराने थर्मल पावर प्लांटों की रिफर्मिसमेंट हो रही है उनसे हमें 68 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी और 14 लाख यूनिट बिजली पहले जो एन०टी०पी०सी० फरीदाबाद की फालतू है वह बच जायेगी। अध्यक्ष महोदय, ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट के एन०टी०पी०सी० के दूसरे यूनिट से हमें 23 मैगावाट बिजली मिलेगी, 5 लाख यूनिट वहां से आ जायेगी। इस तरह से 377 मैगावाट यानी 76 लाख यूनिट बिजली हमको नई मिलने लगेगी। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास 76 लाख यूनिट बिजली होगी तो हमारे पास 20-30 लाख यूनिट बिजली सरप्लस होगी और इसके साथ-साथ मार्च, 2000 तक पानीपत थर्मल पावर स्टेशनज दो और चार भी बन जायेंगे जिनकी कैपेसटी 136-136 मैगावाट की होगी, जिनसे हमें 28 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त पानीपत थर्मल पावर यूनिट-6 है जो 210 मैगावाट का होगा उससे भी हमें 42 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, लिक्विड फ्यूल जो 100 मैगावाट का है उससे 20 लाख यूनिट बिजली मिलेगी और एन०टी०पी०सी० का यूनिट-3 जो 146 मैगावाट का है उससे भी 29 लाख यूनिट बिजली मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड ने बिजली में कुछ बढ़ोतरी की है उसमें से हमें 622 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से 1.25 करोड़ यूनिट बिजली हमारे पास हो जायेगी और हमारे पास बिजली की कमी नहीं रहेगी। हमारे पास तो सरप्लस बिजली होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2000 तक पानीपत थर्मल पावर प्लांट की यूनिट चार से हमें 68 मैगावाट यानी 14 लाख यूनिट बिजली मिलने लगेगी और लिक्विड फ्यूल पावर स्टेशन जो 200 मैगावाट का है उससे हमें 46 लाख यूनिट यानी 268 मैगावाट बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अगले एक हफ्ते में यमुनानगर का 500 मैगावाट के थर्मल प्लांट बनाने के लिए फाईनल टैंडर फ्लोट करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह टैंडर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक फाईनल हो जायेगा और इस प्लांट का काम शुरू हो जायेगा। इस तरह से इस प्लांट से हमें छः महीने के अंदर 500 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी। इसके अलावा फिर हम हिसार में 500 मैगावाट के थर्मल प्लांट को लगाने के लिए टैंडर फ्लोट करेंगे। इसके अतिरिक्त आई०ओ०सी० का तेल शोधक कारखाना पानीपत में लग रहा है उनसे हमने समझौता कर लिया है इन-राईटिंग में कमिटमैंट कर लिया है। इस कारखाने में पैट्रोल या डीजल बनने से पहले जो रैजीड्यूरी निकलता है उससे बिजली बनती है, जिससे हमें 301 मैगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त मिसलेनियस जैसे अंटा, औरैया पावर स्टेशनज की भी कैपेसटी बढ़ाई जा रही है। 65 मैगावाट बिजली हमको उनसे भी मिलेगी। यह सब करने के बाद हमारे प्रदेश में पावर की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विपक्षी भाइयों को तकलीफ यह है कि 30 जून, 1999 के बाद वे गांवों में जाकर क्या कहेंगे ? एक बार विपक्ष के तीन-चार एम०एल०एज० मेरे पास आ गये, वे आये

तो थे किसी और काम से, जब मैंने चाय मंगवा दी तो वे चाय पीते-पीते कहने लगे कि चौधरी साहब क्या आप एक साल के अन्दर-अन्दर 24 घण्टे बिजली दे दोगे तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक साल तो ज्यादा है, हम तो एक साल से भी बहुत पहले प्रदेश में 24 घण्टे बिजली देंगे। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं)** इस पर उन्होंने मेरे से कहा कि फिर हम गांव में जाकर क्या कहेंगे ? मैंने कहा कि भगवान ने चाहा तो अगले ढ़ाई साल में आप लोगों को गांव में बड़न जोगे छोड़ेंगे ही नहीं तो जाओगे कहां।इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने 24-25 नये सब-स्टेशन बनाये हैं और तकरीबन 94 सब-स्टेशनों की हमने स्ट्रैंथनिंग की है और 125 ऑगमैन्ट किये हैं। इनके अलावा हम और नये सब-स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं और ऑगमैन्ट भी करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ 16000 किलोमीटर लम्बी 11 के०वी०ए० की बिजली की नई लाइनें बिछाने जा रहे हैं और बड़ी लाइनें भी बिछेंगी लेकिन 16000 किलोमीटर की लाइनें तो 11 के०वी०ए० की बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लिये बिछा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन के लिये बिजली बोर्ड की चार कंपनियां बनेंगी। जैनको और ट्रांसको ये दो कंपनियां तो हमने बना दी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की दो और कंपनियां बनायेंगे और मैं समझता हूं कि 15 दिन के अन्दर या ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अन्दर ये कंपनियां बन जायेंगी। जैनको कम्पनी 100% हरियाणा गवर्नमैन्ट की होगी और ट्रांसकों कम्पनी भी 100% हरियाणा गवर्नमैन्ट की होगी। हम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हरियाणा प्रदेश को दो हिस्सों में बांटेंगे और दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक कम्पनी हरियाणा गवर्नमैन्ट की होगी और एक कम्पनी के बारे में किसी प्राइवेट कम्पनी को इन्वाइट करेंगे और इसमें 51% शेयर इस प्राइवेट कम्पनी के होंगे तथा बाकी के 49% शेयर सरकार के होंगे। उस प्राइवेट कम्पनी के डायरैक्टर प्रदेश की सरकार के अधिकारी होंगे और उससे सरकार को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाई आज प्रचार करते हैं कि छः रुपये प्रति यूनिट बिजली का रेट हो जायेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे इस तजुर्बे से तो शायद रेट भी न बढ़ें। भगवान ने चाहा तो शायद हम भी बिजली की बिक्री करने लायक हो जायें। हमने तो हरियाणा की जनता को सहूलियत देने की कोशिश की है, हमने जनता को कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, अब किसानों को बिजली पर सबसिडी देने का सवाल आता है। हमने वर्ष 1996-97 में किसानों को बिजली पर सबसिडी 747 करोड़ 37 लाख रुपये दी है, वर्ष 1997-98 में किसानों को ट्यूबवैल के लिये 872 करोड़ 36 लाख रुपये की सबसिडी दी है और वर्ष 1998-99 में 31 मार्च, 1999 तक जो बिजली की सबसिडी हो जायेगी वह 880 करोड़ 47 लाख है। इसके अलावा अगले साल का बजट अभी हम पेश कर रहे हैं इसमें वर्ष 1999-2000 के लिये हम किसानों को बिजली पर 928 करोड़ रुपये की सबसिडी देंगे। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कोई भी सरकार सबसिडी किसानों को दे भी नहीं सकती। हमारे जो मुखालिफ भाई हैं वे कहते हैं कि हम बिजली बोर्ड का सारा ही काम गलत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक में जो पावर के मामले में पूरे एशिया के इन्चार्ज हैं, मिस्टर मटैकनिक, वे छः-सात महीने पहले हमारे यहां आये थे और उन्होंने हमारे अधिकारियों से बिजली के बारे में डिस्कशन भी की थी। वे मुझे भी मिले थे। उन्होंने मुझ से यह कहा कि हम एशिया के दूसरे मुल्कों में बिजली के बारे में हरियाणा की मिसाल देते हैं कि हरियाणा की तरह बिजली का प्रबन्ध करो। मि० मटैकनिक के कहने से वर्ल्ड बैंक के कन्सलटैन्ट जो कि पाकिस्तान के भी कन्सलटैन्ट हैं, ब्रोन्च स्टाइमनटनसन, ने यहां पर आ करके हमारे बिजली बोर्ड के सिस्टम को स्टडी किया। उन्होंने हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन से पूछा कि अगर हम पाकिस्तान की टीम भेजें तो क्या आप उनको यह बिजली के सुधार का सारा सिस्टम दिखा देंगे, क्या उनको यह सारा सिस्टम समझा देंगे। हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जवाब दिया कि अगर भारत सरकार आपकी टीम को वीजा दे देगी तो हम यह सिस्टम उनको दिखा देंगे। अध्यक्ष महोदय, विदेशी लोग हमारे काम की तारीफ करते हैं। आंध्र प्रदेश बिजली

[श्री बंसी लाल]

बोर्ड के मैम्बर टैक्नीकल और सैक्रेटरी, हरियाणा के बिजली जनरेशन का सिस्टम स्टडी करने आए। इसके अलावा श्री विनोद जुत्सी, आई०ए०एस०, एग्जैक्टिव डायरैक्टर रिफोर्म्ज, राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड चार फरवरी को हमारा सारा सिस्टम देख कर गए। इसी तरह से कर्नाटक स्टेट के बिजली बोर्ड के मैम्बर पावर और मैम्बर लेबर 11-12 फरवरी को यानी कल परसों हमारे सिस्टम को स्टडी करने आ रहे हैं। इसी तरह से बिहार के रमई राम मिनिस्टर औफ पावर, मिनिस्टर औफ स्टेट फार पावर और चेयरमैन बिजली बोर्ड तथा मैम्बर टैक्नीकल 18 से 20 फरवरी तक हमारा बिजली का सिस्टम स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा किसी भी वक्त श्रीलंका वालों की लीडरशिप में एक हाई पावर डैलीगेशन एशियन डिवैल्पमैंट बैंक द्वारा हमारे यहां भेजा जाने वाला है। इसके अलावा एक फ्रैंच स्कॉलर हैं श्री रूज जोयड, वह और रिफोर्म्ज पी०एच०डी० कर रहे हैं उन्होंने हरियाणा और उड़ीसा दोनों स्टेट्स की बिजली के सुधारीकरण की तारीफ की है। वह कई बार हमारे यहां सिस्टम स्टडी करने आ चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता को फायदा हो, हरियाणा प्रदेश को फायदा हो और हरियाणा प्रदेश दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे मगर मैं क्या करूं हमारे उन विरोधी पक्ष के भाइयों को चश्में ही उल्टे चढ़े हुए हैं। वे सदन में आ करके वाई काट करते हैं और बाहर हाजरी लगा कर चले जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे जो इस सदन के माननीय सदस्य रह चुके हैं वे यदि बाद में किसी कार्पोरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं तो उनको मैडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब इस संशोधन के माध्यम से वे सभी पूर्व माननीय सदस्य कहीं से भी ऐसी सुविधा

[श्री राम विलास शर्मा]
ले सकते हैं। पहले उनको विधान सभा से मैडिकल की सुविधा नहीं मिलती थी। इसलिए इस एनोमली को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister for Parliamentary Affairs will move that the Bill be passed.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैंशन) संशोधन विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा देने संबंधी बिल में संशोधन करने वाला बिल था। इस बिल में जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनको जो पैंशन दी जाती है उस पर डी०ए० संबंधी संशोधन है। अब से पूर्व विधायकों को पैंशन पर डी०ए० नहीं मिलता था। बाकी सब प्रान्तों में डी०ए० की सुविधा सभी वर्ग के कर्मचारियों को उपलब्ध है। उन्हें पूर्व सदस्यों की सुविधा के लिए पैंशन में डी०ए० जुड़ जाए जिस अनुपात में बाकी के श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में डी०ए० जुड़ता है उसी अनुपात में पूर्व सदस्यों की पैंशन में भी यह इज़ाफा हो। इसलिए यह संशोधन पूर्व सदस्यों की पैंशन में सुविधा के लिए लाया गया है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Parliamentary Affairs will move that the Bill be passed.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

5. हरियाणा प्राइवेट महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Parliamentary Affairs will introduce the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I introduce the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill be taken into consideration at once.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर सर, जो यह बिल अभी माननीय पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर जी ने प्रस्तुत किया है, वह स्वागत योग्य है। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर कई ऐसे शिक्षा संस्थान खुलते जा रहे हैं जिनके पास न पूरा भवन होता है और न बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य स्टाफ होता है। हम देखा करते थे कि पहले हमारे प्रदेश के अन्दर इन्जीनियरिंग कॉलेज़िज में या विश्वविद्यालयों में इन्जीनियरिंग के कोर्स पढ़ने वाले बच्चों का एक अलग ही रुतबा होता था और इन बच्चों में अलग प्रकार का ही आत्म विश्वास हुआ करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे-छोटे नगरों और कस्बों में भी इन्जीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राईवेट मैनेजमैंट्स के नाम पर कई ऐसी संस्थाएं खुल रही हैं जिससे शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आती जा रही है। स्पीकर सर, आज जो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी को मुबारिकबाद देता हूं कि इस बिल के पास होने से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। आज कई तरह की प्राईवेट संस्थाएं प्रदेश के अन्दर कई टैक्नीकल कोर्सिज़ चला रही हैं लेकिन उनमें शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई भी गौर नहीं करता है। यह जो बिल आज सदन में लाया गया है इसके माध्यम से हमारी शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और यह जो प्राईवेट संस्थाएं अनाप-शनाप तरीके से लोगों का शोषण करती हैं उन पर रोक लगेगी। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

Tha Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Parliamentary Affairs will move that the Bill be passed.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

6. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में सदन को बताना चाहूंगी कि यह अमैंडमैंट क्यों लाई गई ? सर, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 24 जून, 1973 को बना था। इससे पहले 1911 में पंजाब म्युनिसिपल एक्ट बना था जिसके तहत सारा काम किया जाता था। 1952 में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट बनाया गया, 1954 में पंजाब विलेज कामन लैण्ड एक्ट बनाया गया जिससे गांवों में जो शामलात जमीन होती थी वह पंचायतों के अधिकार में आ गई। 1954 के बाद जिन शहरों में उनकी सीमा बढ़ाई जाती थी तो उसमें जो गांव आते थे वे म्युनिसिपैलेटी की सीमा में आ जाते थे। उन गांवों की शामलात भूमि नगरपालिका के अधिकार में आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सन्, 1954 से पहले के जो पुराने शहर हैं, वहां पर जो कामन लैण्ड है वह हर आदमी के लिए सांझे रूप में इस्तेमाल होती थी। उसमें कहीं न कहीं पर अवैध कब्जा करने का साहस हो जाता था या वह कहीं न कहीं कोई मौका देखते थे तो कब्जा कर लेते थे। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 1973 में जब यह एक्ट बना था, तो 1974-75 में भी आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने जो उस समय भी मुख्य मंत्री थे, इस एक्ट के अंदर यह अमैंडमैंट करनी चाही थी कि सारी अवैध जमीन या शामलात की जमीन जो कि गांवों से शहर बनने के बाद नगरपालिका की सीमा में आयी है, उस सारी जमीन का अधिकार नगरपालिका के पास होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1978 में हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश श्री सन्धेवालिया जी की बैंच ने उस अमैंडमैंट को रद्द कर दिया था और रद्द होने के बाद पिछली किसी भी सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। इसलिए अब हम यह एक रैमीडियल मेजर ला रहे हैं ताकि इसमें कोई भी लूप होल न रह जाए, किसी को भी कोई मौका न मिले जिससे वह शामलात जमीन पर अवैध कब्जा कर सके। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी शहरों के अंदर जमीन है वह नगरपालिकाओं के नीचे आनी चाहिए तथा इस प्रोविजन के तहत ही आगे उन जमीनों को बेचने का अधिकार नगरपालिका और सरकार के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए इस तरह के अवैध कब्जों को रोकने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए इस बिल के माध्यम से यह अमैंडमैंट लायी जा रही है।

मैं प्रस्ताव करती हूं—

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister for Local Government will move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

7. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999

Mr. Speaker : Now the Minister for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1999 and she will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करती हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मैं सदन को कुछ बताना चाहूंगी।

यह अमैंडमैंट एक तो हम उन्हीं अवैध कब्जों को जो शामलात जमीन पर होते हैं, रोकने के लिए ला रहे हैं और दूसरे इस अमैंडमैंट के माध्यम से हम 196 सैक्शन के अधीन एक और संशोधन कर रहे हैं। कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर लगाया जाता है उसकी पॉवर पहले पब्लिक वर्क्स का काम करवाने के लिए केवल एक लाख रुपया के व्यय करने की थी। लेकिन एक लाख रुपये से कोई सड़क या कोई नाली वगैरह पूरी नहीं हो पाती थी यानी एक लाख रुपये से बहुत ही कम काम हो पाते थे। इसके अलावा स्थानीय विधायकों की भी मांग थी कि इस राशि को बढ़ाया जाए। इसलिए इस अमैंडमैंट के माध्यम से इस एक लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रावधान कर दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद कॉरपोरेशन का कमिश्नर पब्लिक के कामों के लिए पांच लाख रुपये तक खर्च कर सकेगा। तीसरी बात मैं यह बताना चाहूंगी कि सैक्शन-267 के अंदर हम टी०पी० स्कीम जो कंपनसेशन के बारे में थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसे हम इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई प्राइवेट लैंड वाला अपनी कालोनी का विकास कार्य स्वयं करना चाहे और अपने आप कालोनीवासियों को सुविधा दे और अपना खर्च आप करे तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी और अगर कॉरपोरेशन उस जमीन के ऊपर कोई काम करवाना चाहेगी तो वहां लैण्ड ओनर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस संशोधन को हम इस बिल में ला रहे हैं। चौथी क्लॉज मैम्बर्ज की सस्पैंशन के बारे में है इसमें मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर की सस्पैंशन का प्रावधान है, जैसे किसी मैम्बर पर क्रिमिनल या सीरियस ऐलीगेशन हों तो उसे सस्पैंड किया जा सकता है, निलम्बित करने की नीति वही होगी जो नगर परिषद और नगर पालिका के नियमों में है। किस प्रकार का दोषारोपण लगने से सस्पैंड हो सकता है उसका प्रावधान नगर निगम के इस अमैंडमैंट के द्वारा एक्ट में लाया जा रहा है ताकि 34-ए के तहत और 37-ए के तहत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर पर सीरियस ऐलीगेशन लगने पर उसको सस्पैंड किया जा सके और कॉरपोरेशन का काम अच्छी तरह से चलाया जा सके। इसलिए यह अमैंडमैंट लाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और क्लीयर कर दूं कि हरियाणा प्रदेश में एक ही नगर निगम फरीदाबाद में है क्योंकि जिस नगर की आबादी पांच लाख या उससे अधिक हो उसी में नगर निगम बनाई जा सकती है इसलिए यह अमैंडमैंट फरीदाबाद से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं—

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 11

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I thank you all. Now, the House stands adjourned *sine-die*.

*12.42 Hrs. (The Sabha then *adjourned *sine-die*)

30904–H.V.S.–H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Chandigarh
LIBRARY